

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 जनवरी, 1999

खण्ड-1 अंक-1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 28 जनवरी, 1999

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण	(1)1
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)16
भाोक प्रस्ताव	

घोशणाएं—	
(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा—	
(i) चेयरपर्सनज केक नामों की सूची	(1)26
(ii) याचिका समिति	(1)26
(ख) सचिव द्वारा—	
राश्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	(1)26
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(1)27
बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट पे 1 करना	(1)28
सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र	(1)35
वि शेषाधिकार मामलों के संबंध में वि शेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	(1)37
(i) श्री भजन लाल भूतपूर्व एम एल ए (अब सांसद) के विरुद्ध	(1)37
(ii) इंडियन ऐक्सप्रेस के संवादाता, संपादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरुद्ध	(1)38

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 28 जनवरी, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 15.27 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly at 2-00 P.M. today, the 28th January, 1999, under Article 176(1) of the constitution.

A copy of the address is laid on the Table of the House.

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण

हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम अधिवेशन में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्षा को रहा है इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक भुभकामनाएं देता हूँ।

माननीय सदस्यगण, हम राष्ट्रपति महात्मा गांधी की भाहादत की 50 वी पुण्यतिथि मना रहे हैं गत वर्ष 30 जनवरी को मैने राज्य स्तरीय सघन सफाई अभियानल का भुभारमी भी किया था, जिसे पूरा वर्ष जारी रखा गया। इस वर्ष 30 जनवरी को पलवल में एक राज्य स्तरीय समारोहत का आयोजन किया जा रहा छै। ायहां पर जिलयांवाला बाग के नरसंहार के प चात् अमृतसर जाते हुए महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। इसी स्थान पर गांधी जी की स्मृति में एक सार्वजनिक पार्क का विकास किया जा रहा है।

इसी तिथि को राज्य के भाहरी क्षेत्रों में हरियाणा अजैव अनाि ात कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1998 भी लागू किया जायेगा। इस अधिनियम में सार्वजनिक जल निकास प्रणाली में सामग्री फेंकने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने तथा पॉलिथीन की थैलियों, दूध की थैलियों और रसायनिक अपि ाश्ट के अविवेकपूर्ण निपटान को रोकने का प्रावधान हैं रंगदार पुननिर्मित पॉलिथीन की थैलियों के उपयोग पर भी इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है

लोकपाल

माननीय सदस्यगण, भ्रष्टाचार का अभि ाप हमारी राज्य व्यवसी तथा प्र ासकीय म िनरी के मूलाधार को नश्ट कर रहा है मेरी सरकार ने सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता सुनिि त

करने पर सदैव सबसे अधिक बल दिया है तथा इस बुराई को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प है इस उद्देश्य के मद्देनजर, भ्रष्टाचार जैसी बुराई को समाप्त करने के लिए मेरी सरकार ने लोकपाल की संस्था का सृजन कर, हरियाणा लोकपाल अधिनियम, 1997 की धारा 3 के अन्तर्गत लोकपाल की नियुक्ति भी कर दी है माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, इस गरिमामय सदन मने लोकपाल को बहुत रूपांक वक्तियों प्रदान की है यहां तक कि राज्य में उच्चतम पदों पर आसीन व्यक्तियों, जिनमें मुख्य मंत्री, मंत्रीगण, विधायक, जिला परिशदों के अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव से लेकर नीचे के सभी अधिकारी शामिल हैं, के विरुद्ध विकायतों की जांच करने के लिए उनहें अधिकृत किया गया है।

बिजली

राज्य की बिजली उत्पादन, पारेण तथा वितरण प्रणाली अपर्याप्त निवेश के कारण पूर्णतः अस्त व्यस्त थी। मेरी सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था में सुधार करने के लिए भरसक प्रयास किये हैं

बिजली उत्पादन के क्षेत्र में वर्ष 1995-96 तक अपनी कुल 863 मैगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की तुलना में मेरी सरकार ने अपने 18 महीनों में लगभग 1200 मैगावाट और बिजली उत्पादन करने के लिए कई ठोस उपाय किये हैं 210 मैगावाट

पानीपत तापीय बिजली संयन्त्र यूनिज-6, राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम का फरीदाबाद में 432 मेगावाट का गैस आधारित बिजली संयन्त्र, निजी क्षेत्र में 300 मेगावाट की तरल ईंधन क्षमता, पानीपत तापीय बिजलीघर में 270 मेगावाट बिजली उत्पादन की बढ़ौतरी और भाखडत्रा बिजलीघरों का नवीकरण तथा कार्यक्षमता की अवधि बढ़ाना कुछेक ऐसी परियोजनाएँ हैं, जिन पर काम किया जा रहा है।

मेरी सरकार द्वारा यमुनानगर का तापीय बिजली परियोजना को पुनः आरम्भ किया गया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यमुनानगर में 500 मेगावाट वाले तापीय बिजली उत्पादन केन्द्र के लिए स्वतन्त्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) के चयन हेतु विधिवत आमन्त्रित की गई थी। इन्हें अब अन्तिम रूप यदि याज रहा है आशा की जाती है कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना पर कार्य आरम्भ हो जायेगा। इण्डियन ऑयल आफ कॉरपोरेशन द्वारा पानीपत में 301 मेगावाट का एक अन्य बिजली संयन्त्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें पानीपत रिफायनरी के अवशिष्ट ईंधन को इस्तेमाल किया जाएगा और यह बिजली पूर्णतया हरियाणा के लिए होगी। अंटा, औरेय, ऊँचाहार और हरहंद की विस्तार परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम के साथ दीर्घावधि बिजली खरीद संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं आगामी 2-3 वर्षों में इनसे हरियाणा राज्य की 300 मेगावाट बिजली मिलेगी।

वर्ष 1998-99 के दौरान पारेक्षण तथा वितरण प्रणाली को सृष्टि करने की प्रक्रिया में और तेजी लायी गई। रोहतक में एक नया 220 के0 वी0 वाला उपकेन्द्र, अम्बाला छावनी के औद्योगिक क्षेत्र में 66 के0 वी0 वाला उपकेन्द्र, धर्मगढ, द्वारका, जसारेखेड़ी, भिवानी रोहिला, अम्बाला, छावनी, महर्षि दयानन्द वि विद्यालय, रोहतक, टयून्था, मॉडल टाउन, रिवाड़ी में 33-33 के0 वी0 वाले 6 उपकेन्द्रों, 132 के0 वी0 वाले 9 उप-केन्द्रों, 66 के0 वी0 वाले 4 उप-केन्द्रों और 33 के0 वी0 वाले 10 उप केन्द्रों की क्षमता में संवर्धन किया गया है।

इस दि 11 में किये गए भरसक प्रयत्नों के परिणाम अब नजर आने लगे हैं। गत वर्ष के दौरान प्रतिदिन 348 लाख यूनिट की बिजली उपलब्धता के मुकाबले इस वर्ष प्रतिदिन 371 लाख यूनिट बिजली की उपलब्धता हुई, जोकि 6 प्रति 100 से अधिक वृद्धि रही।

बिजली के क्षेत्र में वुनियादी सुधार लाने के लिए मेरी सरकार को दे 11 में अग्रणी माना गया है। इस गरिमामय सदन द्वारा जुलाई, 1997 में हरियाणा बिजली सुधार विधेयक पारित करने के प 11 चात एक स्वतन्त्र हरियाणा बिजली विनियामक आयोग की स्थापना की गई है और हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को अगस्त, 1998 में बिजली उत्पादन और परेषण, दो अलग-अलग कम्पनियों के रूप में पुनर्गठित किया गया है। वितरण हेतु जिन दो अलग अलग कम्पनियों को भीघ ही स्थापना की जा रही है, वे

भारु में राज्य सरकार की कम्पनियों होगी। इनमें से एक को संयुक्त उद्यम कम्पनी बना दिया जायेगा।

वर्ष 1997-98 में बिजली क्षेत्र में 287 करोड़ रुपये के वार्षिक निवेद की तुलना में इस वर्ष 430 करोड़ का निवेद किया जाएगा जोकि 1999-2000 में बढ़कर 500 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार वर्ष 1998-99 में किसानों को सहायता अनुदार के रूप में 364 करोड़ रुपये देगी। यह राशि 1999-2000 के दौरान कुल निवेद 912 करोड़ रुपये तक हो जाएगा। यह निवेद मुख्यतः बिजली पारेशन और वितरण प्रणाली को सुदृढ करने के लिए किया जाएगा ताकि बिजली उपभोक्ताओं को सुनिश्चित रूप से बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली मिल सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वि. व. बैंक से 2400 करोड़ रुपये की कर्जसहायता की वचनबद्धता प्राप्त की गई और जनवरी, 1998 में 240 करोड़ रुपये की पहली किस्त स्वीकृत हुई। यह राशि निर्धारित समय के मुताबिक प्राप्त हो रही हैं वि. व. बैंक की योजना के तहत सामग्री की प्राप्ति होनी शुरू हो गई है और कार्य निर्माणधीन हैं

गैर परम्परागत ऊर्जा

मेरी सरकार का उद्देश्य है कि ऊर्जा के सभी सम्भव स्रोतों का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाए। गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित बिजली परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी

निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य में बिजली की मांग तथा आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने सौर ऊर्जा, बायोमॉस-बेकार वस्तुओं से ऊर्जा, माइक्रो जल विद्युत/लघु जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन हेतु एक लाभदायक विद्युत नीति की घोषणा की है। इस नीति के उत्साहजनक परिणाम नजर आ रहे हैं और कुछेक समझौतों को अन्तिक रूप दिया जा रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

21वीं शताब्दी की तैयारी में मेरी सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास के कार्य को उचित महत्व दे रही है।

टि. डू-कल्चर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए हिसार में 4.97 करोड़ रुपये की कुल लागत से 10 एकड़ भूमि पर एक अनुसंधान तथा अनुप्रयोग परियोजना की स्थापना की जा रही है। पंचकूला में एक राज्य स्तरीय प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबन्धन पद्धति केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इस केन्द्र का कुल परिव्यय 90.80 लाख रुपये है जो भारत सरकार तथा हरियाणा राज्य द्वारा क्रम 1: 75 व 25 के अनुपात से वहन किया जायेगा।

इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी

मेरी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को पूरी तरह समझती है क्योंकि राज्य के विकास में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका

है। अतः इसके विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार करने पर विचार चल रहा है। इलैक्ट्रॉनिकी भाहर गुडगांव में हारट्रॉन द्वारा सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का विकास किया जा रहा है। हारट्रॉन द्वारा अम्बाला छावनी में उपकरण डिजाइन विकास एवं सुविधा केन्द्र तथ गुडगांव में इलैक्ट्रॉनिक अनुसंधान विकास एवं सुविधा केन्द्र स्थापित किये गये है।

बेरोजगार युवकों के लिए कम्प्यूटर प्र शिक्षण केन्द्र स्थापित किये जा रहे है ताकि उन्हें विकास मील इलैक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर क्षेत्रों में रोजगार मिल सकें।

सिंचाई

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार सिंचाई नेटवर्क को सुचारु रूप से चलाने को उच्च प्राथमिकता देती हैं नहरों के अन्तिम छोर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई जलमार्गों से समय पर घात-पात तथा गाद निकालने का कार्य किया गया है नहर पद्धति को आधुनिक बनाया जा रहा है तथा जल की चोरी को रोक जा रहा है ताकि नहरी पानी सीधे लाभार्थियों को प्राप्त हो सकें उठान सिंचाई स्कीमें, जिनको पम्प गृहों के खराब होने के कारण तथा जलमार्गों में गाद भरने के कारण नुकसान हो रहा था, को क्रमबद्ध तरीके से पम्पों की अत्यधिक मरम्मत करके तथा जलमार्गों की गाद निकाल कर ओर उनकी खुदाई करके उन्हें कार्य करने योग्य बनाया गया है।

माननीस सदस्य गण, इन उपायों की वजह से सिचाई क्षेत्र में अत्यधिक बढौतरी हुई हैं ये क्षेत्र वर्ष 1997-98 के दौरान बढ़कर 21.93 लाख हैक्टयेर हो गया, जो कि एक कीर्तिमान हैं यह वर्ष 1995-96 के दौरान सिचित क्षेत्र से 2.43 लाख हैक्टयेर अधिक हैं मेरी सरकार पंजाब में सतलुज यमुना योजक नहर के पूरे नह होने पर अत्यधिक चिन्तित है ओर इसके लिए निरन्तर केन्द्र सरकार पर दवाब डाल रही हैं इस निरन्तर प्रयास करेगे कि हरियाणा राज्य को न्याया मिले। मेरी सरकार ने इस प्रयोननार्थ 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 45 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है।

राज्य को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिएजिल निकास प्रणाली को पूर्णतः ठीक रके उसमें क्रमिक सुधार लाया जा रहा है। मेरी सरकार ने जल निकास और बढ़ते जल स्तर की समस्या का अध्या करने हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृशि वि विद्यालय, हिसार के कुलपति की अध्यक्षता में एक वि ेशज्ञ समिति न नियुक्त की है समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जो कि सक्रिय रूप से विचारधीन हैं मेरी सरकार इस गम्भीर समस्या को समाधान हेतु महत्वकाँक्षी कार्यक्रम तैयार कर रही है।

वि व बैंक सहायता प्राप्त 'जल संसाधन समेकन परियोजना' के अन्तर्गत संरचनाओं का पूननिर्माण, नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण, हथनीकुण्ड बैराज का निर्माण तथा उप-सतही

जल-निकास के लिए मार्गदर्शिका स्कीमों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

हथनीकुण्ड बैराज, जो जो कि एक भाताब्दी पुराना ताजेवाला हैडवर्क्स का स्थान होगा, का निर्माण कार्य मेरी सरकार द्वारा 14 अक्टूबर, 1996 को शुरू किया गया था और इस कार्य को अब तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय परियोजना के 219 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जून, 1999 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने पूरे राज्य में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जल निकास में सुधार करने के लिए कुल चार ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि परियोजनाएं स्वीकृत की हैं इनकी कुल लागत 212.40 करोड़ रुपये होगी।

राज्य सरकार ने रिवाड़ी उठान सिंचाई स्कीम को नाबार्ड से अनुमोदित करवाने के लिए भी विशेष प्रयत्न किए हैं नाबार्ड इस कार्य के लिए 39.60 करोड़ रुपये उपलब्ध करवायेगा। इससे अहीरवाल की जनता की आकांक्षाएं पूरी होगी, जोकि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उपेक्षित की जाती रही है। 99 गाँवों में फैला 78790 एकड़ को भू-भाग इस स्कीम से सिंचाई अधीन आ जाएगा।

माननीय सदस्यगण, पंजाब में बहने वाली भाखडत्रा नहर और नरवाना भाखा द्वारा हरियाणा के हिस्से का जल लाया जाता है। हरियाणा सम्पर्क स्थान पर इन जल मार्गों की जल वाहन क्षमता 10700 से घटकर 9100 क्यूसेक रह गई हैं अतः पंजाब को इन जलमार्गों की जल वाहन क्षमता 10700 से घटकर 9100 क्यूसेक रह गई हैं अतः पंजाब को इन जलमार्गों के आवर्धन/मरम्मत निर्माणकार्य को पूरा करने के लिए कहा गया है तथा इसके लिए उसे 10.84 करोडत्र रूपये की राशि दी गई है इसके परिणामस्वरूप बी0एम0एल0 की जल क्षमता लगभग 1000 क्यूसेक तथा नरवाना भाखा की जल क्षमता 600 क्यूसेक बढ़ जायेगी।

कृशि

माननीय सदस्यगण, प्रगति तिल कृशि के लिए हरियाणा का देश में प्रमुख स्थान है

वर्ष 1998-99 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 118.50 लाख टन रखा गया है, जिसमें 34.50 लाख टन खरीफ के लिए और 84 लाख टन रबी फसल के लिए हैं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृशि उपयोगी पदार्थों की समय पर आपूर्ति हेतु क्रमबद्ध सुधार किये जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में खरीफ 1998 के दौरान विभिन्न के 98 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये जबकि पिछली खरीफ के दौरान 87 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये थे रबी 1998-99 के दौरान विभिन्न रबी

फसलों के 2.96 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों में वितरित किये गये जबकि पिछले रबी मौसम के दौरान 2.26 लाख क्विंटल बीज वितरित किये गये थे। खरीफ 1998 के दौरान उर्वरक खपत 3.29 लाख मीट्रिक टन (पोशक तत्व) रही ओर रबी 1998-99 के दौरान खपत 5.21 लाख मीट्रिक टन (पोशक तत्व) के एक नये िाक्षर को छूने की सम्भावना है।

अक्टूबर, 1998 मास में हुई बे मौसमी वर्षा तथा तेज हवाओं के कारण खरीफ फसलों की भावी पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा राज्य में उत्पादन घट कर 29.77 लाख टन रह गया। लगातार वर्षा के कारा कपास की फसल को भी भारी नुकसान हुआ, जिससे 15 लाख गाँठों के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में इनका उत्पादन घटकर लगी 8.63 लाख गाँठे हुआ। इसी प्रकार गन्ने का उत्पादन (गुड़ के मामले में) 7.20 लाख टन होने की संभावना है जबकि लक्ष्य 9 लाख टन था।

तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक क्षेत्र में रबी फसल की बुवाई हुई है राज्य को चालू रबी मौसम में खाद्यान्नों के उत्पादन में 84 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर लेने की आशा है। खरीफ और रबी को मिला कर चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 114.42 लाख टन होने की आशा है।

अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए चालू वर्ष के दौरान फास्फेटयुक्त उर्वरकों पर 150 करोड़ रुपये की राशि

उपदान के रूप में दी जायेगी जबकि वर्ष 1997-98 के दौरान यह राशि केवल 127.85 करोड़ रुपये थी। खरीफ 1998 के दौरान 718.28 करोड़ रुपये तक के फसली कर्ज दिये गये, जबकि खरीफ 1997 के दौरान 609.04 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किये गये थे। चालू रबी मौसम के दौरान 781.70 करोड़ रुपये के फसली कर्जों का वितरण किया गया था।

बागवानी

मेरी सरकार, फलों और सब्जियों तथा फलों ओर खुम्भी के विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दे रही हैं फाले के तहत बागवानी क्षेत्र तथा उत्पादन वर्ष 1997-98 के अन्त तक क्रम 1 23800 हैटेयर तथा 1.76 लाख टन से बढ़कर वर्ष 1998-99 के अन्त तक क्रम 1: 25800 हैक्टेयर तथा 1.90 लाख टन को जाने की सम्भावना है सब्जियों के अधीन भी क्षेत्र तथा उकसा उत्पादन बढ़ा है। वर्ष 1997-99 के अन्त तक एल लाख हैटेयर क्षेत्र तथा 13.50 लाख टन के मुकाबले वर्ष 1998-99 के दौरान सब्जियों के अधीन 1.05 लाख हैक्टेयर क्षेत्र लाने तथा उनके 16.50 लाख टन उत्पादन का कार्यक्रम है

वर्ष 1997-98 के अन्त तक खुमी की पैदावार बढ़ कर 2680 टन हो गई। वर्ष 1998-99 का उत्पादन लक्ष्य 3200 टन है वर्ष 1998-99 के दौरान फूलों की खेती अधीन क्षेत्र बढ़ कर 2200 हैक्टेयर हो जाने की सम्भावना है किसानों में ग्रीन हाउस

प्रौद्योगिक लोकप्रिय हो रही हैं और वर्ष 1997-98 के अन्त तक 106 ग्रीन हाउस बना लिये गये हैं

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 7695 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। राज्य में कुल 3411548 राशन कार्ड धारक हैं गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के नये राशन कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है और यह कार्य 15 अप्रैल, 1999 तक पूरा हो जायेगा। लगभग 7 लाख ऐसे राशन कार्ड बनने की सम्भावना है। मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए, काला बाजारी और अवैध वस्तुओं की जमाखोरी पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

सहकारिता

राज्य के सहकारिता क्षेत्र में सामान्य कृषि एवं कृषि सम्बन्धी उद्योगों के अतिरिक्त चीनी मिल, डेरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं।

वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य में सहकारी चीनी मिलों को उनके उत्पादन के विरुद्ध 204 करोड़ रुपये की नकद उधार सीमा को मंजूरी दी गई है।

वर्ष 1998-99 के दौरान फसली ऋण (खरीफ एवं रबी) तथा अन्य अल्पवधि फसली ऋण की अधिकतम सीमा 50000 रूपये से बढ़ाकर 60000 रूपये कर दी गई है।

दुग्ध समितियों द्वारा अप्रैल, 1997 के दौरान दुग्ध की अधिप्रति 348.91 लाख लिटर की गई जो वर्ष 1998 में इसी अविध के दौरान बढ़ कर 435.18 लाख लीटर हो गई। उपयोगिता क्षमता 67.9 प्रति ात से बढ़ कर 80.3 प्रति ात हो गई है। दुग्ध उत्पादकों की गत वर्षा की औसत संख्या 35648 से बढ़कर चालू वर्ष में 48.965 हो गई हैं।

माननीय सदस्यगण, राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक संघ द्वारा हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को हाल ही में वर्ष 1997-98 के दौरान अपने प्रकृष्ट कार्यों के लिए विजयोपहार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ द्वारा हरियाणा राज्य सहकारी ि ाखर बैंक लिमिटेड को हाल ही में वर्ष 1996-97 के दौरान अपने समूचे कार्यों के लिए देश का तीसरा सर्वोत्तम बैंक घोषित किया गया है।

प ़ुपालन

गाय की हरियाणा और साहीवाल तथा भुर्गा नस्ले राष्ट्रीय प ़ुधन का गौरव हैं। गाय ही हरियाणा ओर साहीवाल नस्लों की रक्षा और उनमें सुधार लाने के लिए मेरी सरकार ने राज्य भर में 22 गौ ालाओं को सृदृढ किया है, जिन पर 1.10

करोड़ों रुपये खर्च हुये हैं अधिकतम दुग्ध उत्पादक भुर्रा भैसों के मालिकों को प्रोत्साहन देने तथा मुर्गा कटड़ों को खरीदने के लिए एक विशेष स्कीम भुर्ली की गयी है इस प्रयोजनार्थ चालू वित्त वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है

विभाग को उच्च प्रौद्योगिकी युक्त बनाया जा रहा है और वर्तमान 1400 संस्थाओं में हिमीकृत वीर्य सुविधा को बढ़ाकर राज्य की सभी 2217 पशु संस्थाओं में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इम्ब्रॉ अन्तरण प्रौद्योगिकी वर्ष 1998-99 की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है

मत्स्य पालन

मत्स्य पालन राज्य में एक नये ओर उत्साहवर्धक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है राज्य में मछली के विक्रय के काम में सुधार लाने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है मत्स्य पालन की कृषि का अभिन्न अंग बनाने के अतिरिक्त प्रायोगिक आधार पर स्वच्छा जल झींगा मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की जा रही है।

उद्योग

औद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में हरियाणा एक अग्रणी राज्य है भारत सरकार की आर्थिक उदारीकरण तथा लइसेन्स समाप्त करने की नीति के आरम्भ होने से अब तक हरियाणा में औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए 2177 औद्योगिक इद्यमकताओं के

ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनसे 22715 करोड़ रूपये का निवेश होने की सम्भावना है इन में से 969 औद्योगिक उद्यमकर्त्ताओं के ज्ञापनों को वस्तुतः क्रियान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1997-98 में राज्य का निर्यात 2961 करोड़ रूपये का था, जोकि आगामी वर्ष में 3000 करोड़ से भी बढ़ जायेगा।

माननीय सदस्यगण राज्य में औद्योगिक विकास की गति तेज करने हेतु मेरी सरकार ने औद्योगिक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर विकास नीति में सुधार किया है अब उच्च तथा मध्यम क्षमता वाले क्षेत्रों में 5 करोड़ रूपये तथा इससे अधिक निवेश और निम्न क्षमता वाले क्षेत्रों में 3 करोड़ रूपये तथा इससे अधिक निवेश वाली औद्योगिक परियोजनाओं को तुरन्त प्लॉट अलॉट करने का उपबन्ध किया गया है इस नीति के अन्तर्गत प्लॉटों या हस्तांतरण प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है इस नीति के अन्तर्गत प्लॉटों की अलॉटमेंट या हस्तांतरण प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है

हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निमग मानेसर में प्रतिष्ठित आधुनिक औद्योगिक टाउनशिप के विकास के अतिरिक्त अन्य महत्वकाक्षी परियोजनाओं के विकास में कार्यरत है। साहा, जिलाल अम्बाला में 1000 एकड़ क्षेत्र में दो विकास केन्द्रों में स्थापित किया जा रहा है। गन्नौर के निकट बारही में 500 एकड़ से अधिक हौजरी केन्द्र का विकास किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जगाधरी के निकट मानकपुर में एक औद्योगिक

सम्पदा का विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आगामी वित्त वर्ष के दौरान पलवल में एक नई औद्योगिक सम्पदा स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है वर्ष 1999-2000 के दौरान 2000 लघु औद्योगिक इकाइयां और 40 बड्डी तथा मध्यम इकाइयां स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है

पर्यावरण

पर्यावरण की स्वच्छता बनाये रखने के लिए मेरी सरकार सर्वाधिक चिन्तित है

इस कार्य के लिए राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है बोर्ड के निर्देश पर 912 औद्योगिक इकाइयों ने मल भाधन संयन्त्र लगाए है तथा 904 औद्योगिक इकाइयों द्वारा वायु प्रदूषण नियन्त्रण संयन्त्र लगाए गये है

फरीदाबा के अतिरिक्त, पर्यावरण अपराधों से सम्बन्धित अदालती मामलों को तुरन्त निपटाना सुनिश्चित करने के लिए हिसार में एक नामित पर्यावरण न्यायाल स्थापित किया गया है जिसका कैम्प न्यायालय करनाल में है

वन तथा सामजिक वानिकी

चालू वित्त वर्ष के दौरान 51.10 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 18000 हैक्टेयर भूमि में वनरोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्ष 1998-99 से यूरोपीय संघ

सहायता प्राप्त हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना को वर्ष 1998-99 से 126 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है इस परियोजना के अन्तर्गत 27380 हैक्टेयर पंचायत भूमि रेत की टीलों को रोकने के हेतु और फार्म भूमि पर वनरोपण का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है

समाज कल्याण

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, विकलांगों तथा समाज के अभावग्रस्त वर्गों जैसे अनाथा, निराश्रित बच्चों परित्यक्त एवं निराश्रित महिलाओं तथा उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कीमें बनाई है। इस स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु वर्ष 1999-2000 के लिए 115.56 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है वर्ष 1999-2000 के दौरान बाल कल्याण तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों का सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए 2.07 करोड़ रुपये का उपलब्ध किया गया है।

एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम सभी 111 ग्रामीण तथा 5 भाहरी खण्डों में लागू की जा रही है मरी सरकार वर्ष 1998 के दौरान 12.25 लाख बच्चों तथा दूध पिलाती माताओं को अनुपूरक पोषण देने के लिए लगभग 31.333 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वर्ष 1999-2000 में 60000 लड़कियों को अपनी बेटी अपना धन

स्कीम के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। महिलाओं के लिए प्र शिक्षण कार्यक्रम कार्य ाला और अभिविन्याया पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राई, जिला सोनीपत में महिला जागृति एवं प्रबन्ध अकादमी नामक एक राज्य प्र शिक्षण संस्थान कार्य कर रहा है वर्ष 1999-2000 के दौरान 2500 लाभानुभागियों को इसके अन्तर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

16.88 करोड़ रूपये की कुल लागत से ग्रामीण महिला अधिकारित एवं विकास परियोजना जिला सोनीपत में भुरू की गई है जसे जींद और भिवानी जिलों में भी आरम्भ किया जाएगा।

मेरी सरकार से अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के भौक्षणिक उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया है विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियाँ, शिक्षण भुल्क में छूट, परीक्षा भुल्क की वापसी, लेखन सामग्री खदीरने के लिए अनुदान, विज्ञान, गणित तथा अंग्रजी विशयों में विशेष अनु शिक्षण, मैट्रिकोत्तर/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन तथा पुस्तकें खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिये गये हैं वर्ष 1999-2000 के लिए इन स्कीमों हेतू 12.68 करोड़ रूपये की राशि का प्रस्ताव है नवम्बर, 1998 तक अनुसूचित जाति के 34658 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है

वर्ष 1999-2000 के दौरान हरियाणा हरिजन कल्याण निगम का, अनुसूचित जातियों के 12600 व्यक्तियों को 37.88

करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है इसके अतिरिक्त, हरियाणा पिछडत्रे वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निमग, विभनप आय जुटानेवाली स्कीमों के लिए पिछडे/अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित परिवारों के 4000 व्यक्तियों को 11.50 करोडत्र रूपये की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधा के अनुरूप पिछडे वर्गों के विद्यार्थियों को भी प्रतियागिता परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विशेष अनुि ाक्षण देने का प्रस्ताव है

राजस्व

राज्य के अक्टूबर, 1998 के महीने में बे मौसमी और अत्यधिक वर्षा के प्रकोप का सामना करना पड़ा। इसमें फसलों को व्यापक हानि हुई। प्रभावित जिलों में जल निकासी का काम तुरन्त युद्ध स्पर तन किया गया। लगीग दो मास की अल्पवधि में 2.93 लाख एकड़ भूमि से पानी निकाल दिया गया, जबकि भुरु में 3.12 लाख एकड़ भूमि जल में डूबी हुई थी। विशेष सहायता लेने के लिए भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया गया, जिसने क्षति का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय अधिकारियों का एक दल भेजा। आ ा की जाती है कि भारत सरकार इस मामले में भीघ्र ही निर्णय लेगी।

मेवात के क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास नीधि की वित्तीय सहायता से मेवात विकास बोर्ड द्वारा एक नवीन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेवात विकास बोर्ड के लिए 75.61 करोड़ रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया है

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रिवालीक विकास बोर्ड के लिए 31.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है रिवालीक विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित की जाने वाली विभिन्न विकास स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 1998-99 में 4.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

लघु सचिवालय एवं न्यायिक परिसर

माननीय सदस्यगण, सरकारी कार्यालयों के विभिन्न स्थानों पर बिखरे होने के कारण नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी सरकार लघु सचिवालयों और न्यायिक परिसरों के निर्माण के कार्य तेजी से कह रही है। कैथल के लघु सचिवालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तथा रिवाड़ी, रोहतक, करनाल और यमुनानगर के लघु सचिवालयों का निर्माण कार्य चल रहा है पंचकूला के लघु सचिवालय का प्रासकीय ब्लॉक और अम्बाला के फेज-2 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और इनमें जिला कार्यालयों ने काम करना भी शुरू कर दिया है इससे पूर्व राज्य सरकारों द्वारा नये जिले तो बना

दिए जाते थे परन्तु वहां पर लघु सचिवालयों तथा न्यायिक परिसरों जैसी आधारभूत सुविधाएँ जुटाने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन मेरी सरकार ने झज्जर और फतेहाबाद के नये जिलों में लघु सचिवालयों का निर्माण कार्य तुरन्त ही आरम्भ कर दिया है वर्ष 1998-99 के दौरान लघु सचिवालयों के निर्माण हेतु 4.42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 1999-2000 के लिये इस कार्य हेतु 6.45 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है एक नीवनी सरकारी भूमि स्कीम के तहत करनाल, रोहतक तथा फरीदाबाद में लघु सचिवालयों के निर्माण के लिए हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण की सहायता ली गई है न्यायिक परिसरों के निर्माण हेतु चालू वर्ष के दौरान 9.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है यमुनानगर, रिवाड़ी पंचकुला, कैथल, करनाल, लोहारू तथा सफीदों के न्यायिक परिसरों का निर्माण कार्य चल रहा है तथा अम्बाला और रोहतक न्यायिक परिसरों के निर्माण का कार्य भीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा।

कानून एवं व्यवस्था

माननीय सदस्यगण, समूचे राज्य में भांति और खुाहाली तथा सामाजिक भाई-चारे का वातावरण बना रहा है प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की मेरी सरकार उच्चतम प्राथमकता देती है। मेरी सरकार राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। राज्य में पुलिस व्यवस्था को सुचारू

बनाने के लिए उपाय किए गये हैं इसके फलस्वरूप पुलिस ने प्रोत्साहनीय कार्य किया है

योजना

वर्ष 1999-2000 की वार्षिकयोजना के लिए 2300 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जो कि वर्ष 1998-99 के 1800 करोड़ रुपये के संशोधित परिव्यय पर 27.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है

परिवहन

1999-2000 की वार्षिक योजना में 40 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है वर्ष 1999-2000 के दौरान 526 बसें बदली जाएंगी। निजीकरण स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत परिवहन सहकारी समितियों को, योजनाक मार्गों पर बसें चलाने के लिए 950 स्टेट कैरिज परमिट जारी किये गये। शिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार के अधिक से अधिक अवसर जुटाने के विचार से मेरी सरकार ने बेरोजगार युवाओं की सहकारी समितियों को राज्य में 125 किलोमीटर तक के मार्गों के लिए परमिट देने का निर्णय लिया है परमिट देने में विभिन्न श्रेणियों को उसी प्रकार आरक्षण दिया जाएगा जिस प्रकार सरकारी सेवा में भर्ती के समय दिया जाता है इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार ने राज्य में चलने वाले मैकसी कैब चाहनों को समूचे राज्य में चलाने हेतु संवदिता वाहन परमिट देकर विनियमित करने का निर्णय लिया है

शिक्षा तथा साक्षारता कार्यक्रम

मेरी सरकार का विद्यालय सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने तथा शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का मुख्य लक्ष्य रहा है।

इस समय राज्य में 10134 प्राथमिक, 1718 मिडल, 2575 उच्च तथा 942 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 17.25 लाख लड़कियों सहित कुल 39.02 लाख बच्चे दाखिल हैं। माननीय सदस्यगण, यह गर्व की बात है कि सभी जिलों में लड़कियों के दाखिलों की संख्या में वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के उत्थान तथा प्रतिभा शाली विद्यार्थियों को लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की प्रोत्साहन स्कीमों आरम्भ की गई है।

पूर्ण साक्षारता अभियान सभी जिलों में चलाया गया है। राष्ट्रीय साक्षारता आयोग द्वारा जिला सोनीपत, कुरुक्षेत्र तथा रिवाड़ी के कार्यक्रमों के परिचालन/बहाली का अनुमोदन कर दिया गया है। साक्षरता के बाद के कार्यक्रमों को पंचकूला तथा चींज जिलों में शुरू किया गया है। मध्याह्न भोजन स्कीम सभी 111 सामुदायिक विकास खण्डों तथा भाहरी क्षेत्रों में चलायी जा रही है।

शिक्षण पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा की सीटें बढ़ाकर 3610 कर दी गई है और ओ0 टी0 पाठ्यक्रमों में कुल 850 सीटें हैं।

मोरनी पहाड़ियों तथा मेवात क्षेत्र में स्थानीय अध्यापकों को अध्यापकों की अत्यन्त कमी के दृष्टिगत शिक्षा बालिक विकास बोर्ड तथा मेवात विकास एजेन्सी की शिक्षण पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा केक लिए प्रत्येक को 50-50 के ग्रुपों में स्थानीय उम्मीदवारों को प्रायोजित करने के लिए अनुमति दी गई है

मेरी सरकार विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। इस दिशा में उठाए गये कदमों में भौक्षणिक पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना, अवितरत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को लागू करना तथा विद्यालयों की गतिविधियों में बच्चों के माता पिता से सहयोग लेना भी शामिल हैं विद्यालयों में मूल्यों पर आधारित शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए भी उपाय किए गये हैं

हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी और हरियाणा उर्दू अकादमी राज्य में साहित्य के क्षेत्र में प्रासनीय कार्य कर रही हैं

माननीय सदस्यगण, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सरकार ने शिक्षा सुविधाओं को समेकित करने ओर उनका विस्तार करने हेतु ठोस कदम उठाए हैं वर्ष 1998-99 में एक सरकारी तथा गैर सरकारी महाविद्यालय के अनुरक्षण हेतु 67.64 करोड रूपये की व्यवस्था की गई है वर्ष 1998-99 में वि विविद्यालयों को देने के लिए 43.47 करोड रूपये की व्यवस्था

की गई हैं वर्ष 1998-99 में 30 गैर सरकारी सम्बद्ध महाविद्यालयों में 40 नये पाठ्यक्रम भुरु करने की अनुमति दी गई है

नगरपालिका प्र ासन

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बेहतर तथा स्वस्थ नगरीर सुविधाए देने के लिए चनबद्ध हैं वर्ष 1998-99 के दौरान इसके लिए 25 करोड़रु रूपये का परिव्ययहैं वर्ष 1998-99 के दौरान भाहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण सम्बन्धी सुधार के लिए 4.95 करोड रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया हैं और वर्ष 1999-2000 के दौरान इस स्कीम के लिए 6 करोड़रु रूपये निर्धारित किये गये हैं वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य के हिस्से के रूप में 1.24 करोड़ रूपये का उपबन्ध किया गया हैं जिसे छोटे तथा मध्यम नगरों के एकीकृत विकास के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान एक करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई हैं गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम के लिए वर्ष 1998-1999 के दौरान 4.96 करोड़ रूपये का प्रावधान है जोकि वर्ष 1999-2000 के दौरान बढ़ा कर 5.14 करोड़ रूपये कर दिया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान भाहरी ठोस कूडा करकट के प्रबन्धान के लिए 1.22 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव है वर्ष 1998-99 के दौरान कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को 5.34 करोड़ रूपये की सहायता दी गई।

भाहरी क्षेत्र में गरीब महिलाओं के ग्रुपों को आर्थिक गतिविधियां भुरू करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक वि ेश योजना आरम्भ की गई हैं

जन—स्वास्थ्य

माननीय सदस्यसगण, मेरी सरकार राज्य के अधिक से अधिक गांवों के प्रतिदिन 40/55 लिटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेयजल सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं लगभग उन 1050 गांवों में व्यक्तिगत घरेलू कनेक्शन दिये जा रहे हैं, जहां प्रतिदिन 70 लिटर या अधिक प्रति व्यक्ति जल सप्लाई उपलब्ध हैं लगभग 30000 ऐसे जल सप्लाई कनेक्शन हदये जा चुके हैं। नयी योजनागत स्कीम के अन्तर्गत मेरी सरकार का पूरा राज्य में कुछ चुने हुए मध्यम आकार के गांवों में ग्रामीण सफाई स्कीम आरम्भ करने का प्रस्तावहैं यमुना कार्य योजना स्कीम के अन्तर्गत फरीदाबाद एवं गुडगुव मे दो मल भाोधन संयंत्र पहले ही चालू हो चुके हैं। तथा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत तथा फरीदाबाद नगरों में बाकी 9 भाोधन संयंत्र जून, 1999 तक चालू हो जाने की सम्भावना हैं इसके अतिरिक्त, इन्दरी, रादौर, छछरौली, गोहाना और पलवल नगरारें में भी मार्च 2000 तक इस स्कीम को चालू कर दिया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल

मेरी सरकार हरियाणा के लोगों को बुनियादी तथा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्राथमिकता देती हैं

हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने हैपाटाइटिस बी टीकाकरण को प्रतिरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। 1.50 करोड़ रुपये की लागत से हैपाटाइटिस बी टीकाकरण की 5 लाख खुराकें प्राप्त कर ली गई हैं। मेरी सरकार, पोलियो रोग के उपचार के लिए पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू कर रही है।

मेरी सरकार उत्सुक है कि पण्डित भगवत दयाल भार्गव चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थान, रोहतक एक उच्च कोटी का परामर्श अस्पताल के अतिरिक्त भौक्षणिक एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करें। वर्ष 1999-2000 के दौरान 10 और नये आयुर्वेद औषधालय खोलने का प्रस्ताव है श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र के निर्माण कार्य के लिए 25 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है

ग्रामीण विकास एवं पंचायतें

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की आय में वृद्धि एवं सम्पत्ति अर्जन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई0आर0डी0पी0) ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार के

लिए प्रशिक्षण स्कीम (ट्राइसेम और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास (डबाकरा स्कीम) में राज्य में काम कर रही है।

उष्ण भू क क्षेत्र में मरुस्थल विकास कार्यक्रम को रिवाडत्री तथा महेन्द्रगढ़ जिलों के 10 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है यह कार्यक्रम जिला भिवानी, फतेहबाद, हिसार, सिरसा तथा झज्जर के रेतीले भूशक क्षेत्रों वाले 35 खण्डों में चलाया जा रहा है

जवाहर रोजगार योजना को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। जिससे केन्द्र तथा राज्य सरकार की क्रम 1: 80 और 20 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी है। भारत सरकार ने 30.49 लाख श्रम दिवस जुटाने के लिए लगभग 32.40 करोड़ रुपये अलॉअ किये हैं चालू वित्त वर्ष में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 3258 आवास गृहों को निर्माण किया गया है और दिसम्बर, 1998 के अन्त तक 3566 आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रगति पर था। कृषि मंदी मौसम के दौरान लाभप्रद रोजगार प्रदान करने हेतु राज्य में रोजगार आवासन स्कीम लागू की जा रही है

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान 50000 साफ सुथरे भौचालय बनाने का लक्ष्य है गलियों को पक्क करने, विद्यालयों के कमरे, औशधालयों के निर्माण, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण योजनाक सड़कों, कम लागत के भौचालयों,

चौपालों आदि जैसे इन्फ्रॉस्ट्रक्चर बनाने हेतू वर्ष 1998-99 में लगभग 56 करोड़ रुपये हरियाणा विकास निधि में से खर्च कये जायेगें। पंचायती राज संस्थाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के लिए 20.66 करोड़ रुपये की राशि को दिये जाने का प्रस्ताव है।

भवन एव सड़के

मेरी सरकार ने वर्ष 1995- और 1996 के दौरान बाढ़ों से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों में सुधार करने औरी उन्हें उन्नत करने की ओर विशेष ध्यान दिया है और चालू वित्त वर्ष में 143.48 करोड़ रुपये का प्रावधानथा।

हमें आशा है कि राज्य राजमार्ग उन्नत हेतु विवेक बैंक परियोजना, जिसके सम्बन्ध में बातचीत की जा चुकी है को आगामी वित्त वर्ष में मंजूरी मिल जायेगी। वर्ष 1999-2000 के लिए 400 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है, जिस दौरान 65 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों के निर्माण तथा 2520 किलोमीटर लम्बी वर्तमान सड़कों के सुधार का प्रस्ताव है

बिल्ड, ऑप्रेट, ट्रांसफर (बीओटी) प्रणाली के अन्तर्गत फरीदाबाद में रेलवे ओवर ब्रिज को स्वीकृत किया जा चुका है बीओटी के सिद्धान्त पर आधारित ओर परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिनसे राज्य में सड़क अवस्थापना नेटवर्क के सुधार को और अधिक बिल मिलेगा।

इनमें कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त दो मार्गी रेलवे ओवर ब्रिज, गुडगांव-फरीदाबाद सड़क, यमुनानगर-छछरोली से बूरीदेवधर सड़क पर पलवल में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण शामिल हैं

अम्बाला पेहोवा हिसार राजगढ़ सड़क जो एक राज्य राजमार्ग था, को केन्द्र सरकार द्वारा राय सरकार के आग्रह पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 घोषित किया गया है हमारे राज्य में यह राष्ट्रीय राजमार्ग 242 किलोमीटर लम्बा है यह एक बहुत बड्डी उपलब्धि है कि इसके अतिरिक्त 5 अन्य राज्य राजमार्गों अर्थात् पिंजौर-बड्डी (नालागढ़-स्वाराघाट) रोहतक गोहाना पानीपत, रुड़की (राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर) सहरानपुर-यमुनानगर-साहा-पंचकूला, जलन्धर-मोगा-बरनाला-संगरूर-नरवाना-रोहतक-झज्जर-बाबल और अम्बाला (नहन-पौंटा साहिब-देहरादूर-ऋषिके) हरिद्वारा को केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है इनकी लम्बाई हमारे राज्य में 448 किलोमीटर है

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 पर बहादुरगढ़-रोहतक क्षेत्र तक की सड़क को चार-मार्गी बनाने के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है इसी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 पर पानीपत में एक उन्नत राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव है

कुण्डली से समालखा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 को प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित एकसप्रेस वेज परियोजना के अन्तर्गत उन्नत कर छः मार्गी बनाया जायेगा। प्रथम

चरण में हरियाणा में कुण्डली सीमा से 15 किलोमीटर का निर्माण किया जायेगा।

राज्य सरकार ने सिद्धान्त रूप से हरियाणा राज्य सड़क अवस्थापनाविकास निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निगम, निजी एवं निगमित क्षेत्रों की भागीदाररी के माध्यम से अवस्थापना विकास परियोजनाओं को भीष्म कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

पर्यटन

हरियाणा पर्यटन जो कि राजमार्ग पर्यटन के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है, पर्यटकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है चालू वित्त वर्ष के दौरान, पेहोवा में यात्रिका, का निर्माण पूरा होने वाला है और हांसी में एक नये पर्यटक केन्द्र की निकट भविष्य में सेवा आरम्भ करने की सम्भावना है

अपनी साँस्कृतिक धरोहर के उत्थान के लिए बल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह किला महल को पर्यटक स्थल के रूप में नवनिर्मित किया गया है फरवरी 1999 में सूरजकुण्ड फिल्म मेले के आयोजन की तैयारियों की जा रही है हरियाणा के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन उन्नयन की संयुक्त उद्यम स्कीम के अन्तर्गत जिला महेन्द्रगढ़ के माधोगढ़ में हैरीटेज होटल, सोहना में है क्लब और उचान में अम्यूजमेंट पार्क सम्बन्धी परियोजनाओं का प्रस्ताव है।

खेल-कूद

भारत सरकार की आर्थिक सहायता से लगभग 8.43 करोड़ रुपये की लागत से फरीदाबाद में एक आधुनिक खेल कूद केन्द्र विकसित किया जा रहा है। तेजली (यमुनानगर) में एक खेल कूद केन्द्र उभर रहा है। नारनौल में एक खेल कूद स्टेडियम बन कर तैयार होने वाला है तथा सिरसा में एक बहुउद्देशीय उन्तरंग स्टेडियम भी ही मुकम्मल होने वाला है। पलवल, झज्जर तथा बहादुरगढ़ में स्टेडियम बनाने की योजना है।

श्रम तथा रोजगार

माननीय सदस्यगण मेरी सरकार का यह विश्वास है कि उद्योग श्रम के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध औद्योगिक विकास के लिए सहायक हैं। राज्य में औद्योगिक भ्रान्ति का वातावरण बन रहा है। अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी पहली जुलाई 1998 से 1729.54 रुपये प्रति मास कर दी गई है जोकि इस क्षेत्र की सबसे अधिक में से एक है।

मेरी सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा (ई0एस0आई0) का एक नया निदेशालय श्रम विभाग के अधीन स्थापित किया है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा औद्योगिक विभागों को स्वास्थ्य विभाग नियन्त्रण से पृथक करके श्रम विभाग के अधीन किया गया है। इससे औद्योगिक कामगारों की चरि प्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है और उपलक्षणों तथा मीनरी के उन्नयन, दवाईयों की

आपूर्ति तथा चिकित्सा कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने से स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बढ़ेगा।

पहल अप्रैल, 1998 से 30 नवम्बर, 1998 की अवधि के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा 9739 आवेदकों को लाभकारी रोजगार मुहैया करवाये गये हैं, जिनमें 269 महिलाएँ हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा

सुदृढ औद्योगिक अर्थ व्यवस्था के लिए विभिन्न औद्योगिक कारीगरियों में युवाओं का प्रशिक्षण नितान्त आवश्यक है।

मेरी सरकार द्वारा स्वरोजगार तथा उद्योगों में रोजगार हेतु महिलाओं के प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस समय 195 औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक संस्थानों में से 35 संस्थान केवल महिलाओं के लिए हैं तथा भोश संस्थाओं में भी सह शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, जहां महिला प्रशिक्षणार्थियों से कोई प्रशिक्षण भुल्क नहीं लिया जाता।

वर्ष 1998-99 के दौरान 10 नये व्यावसायिक शिक्षा संस्थान खोले गये तथा इस प्रकार के 5 अन्य संस्थान खोलने का प्रस्ताव है चालू वर्ष के दौरान।

तकनीकी शिक्षा

वर्ष 1999-2000 में 70 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई, जिसमें वि व बैंक स्कीमें शामिल हैं। तीन राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों और चार सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थानों को निर्माण कार्य चल रहा है, जो मई, 1999 तक पूरा हो जाएगा। वर्ष 1997-2002 की 9वीं योजना में जिला रिवाड़ी में धामलावास, कुरुक्षेत्र में उमरी, जींद में राजपुरा, पंचकूला में नानकपुर, भिवानी में लोहारू, यमुनानगर में सुघ, कैथल में पबनावा, सिरसा में डबवाली और पानीपत में डाहर में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान खोलने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार की सामुदायिक विकास स्कीम के अर्न्तगत ग्रामीण युवाओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए हरियाणा राज्य के 14 बहुतकनीकी संस्थाओं को चुना गया है

हमारे युवाओं की भावी जीवनयापन प्रणाली में सुधार लाने के लिए गैर सरकारी महाविद्यालयों को नये इंजीनियरी एवं प्रबन्धन पाठ्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति दी गई है

न्याया प्र ासन

चालू वर्ष के दौरान 687 व्यक्तियों को नि: शुल्क कानूनी सहायता दी गई और 160 लोक अदालतें लगाई गई, जिनमें 20900 मामलों को फैसला किया गया। मोटर दुर्घटना के दावों के 1386 मामलों का निपटान किया गया, जिनमें 8732 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मुआवजों के रूप में दी गई है आगामी

वर्ष के दौरान 200 लोक अदालतें, 10 सहकानूनी साक्षरता विचारियाँ और 10 कानूनी सहायता कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव है।

कर्मचारियों की भलाई

मेरी सरकार ने राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका तथा नागरिकों के प्रति उनकी सेवा को मान्यता प्रदान करते हुए भारत सरकार के अनुरूप पहली जनवरी, 1996 से कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया है। चालू वर्ष के दौरान मकान किराया भत्ते, नगर प्रतिपूर्ति भत्ते, चिकित्सा भत्ते और यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन किया गया है। मेरी सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा 240 दिन बढ़ाकर 300 दिन कर दी गई है।

सरकारी कर्मचारियों और सहायता प्राप्त भौक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान, पेनशन भत्ता, बोनस और मंहगाई भत्ता किस्के के रूप में लगभग 1792 करोड़ रुपये की वित्तीय लाभ दिया गया है। मेरी सरकार ने चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के उपक्रमों तथा सहकारी संस्थानों के कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया है जिस पर लगभग 143 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

माननीय सदस्यगण, यह मेरी सरकार के नीतिगत कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा है। इन मुद्दों पर आपका चिन्तन तथा

रचनात्मक परिचर्चा अवयव ही राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास तथा हरियाणा की जनता की समस्याएँ हल करने में सहायक होगी। हम इस आशा के साथ 21 वीं भाताब्दी में प्रवेश की प्रतीक्षा करते हैं कि मेरी सरकार का, अपनी जनता का कल्याण सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूर्ण होगा।

जय हिन्द!

भाोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now a Minister will make the obituary references.

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पिछले अधिवेशन के बाद और इस अधिवेशन के भंग होने से पहले कई माननीय साथी इस संसार से चले गए हैं, उनके बारे में भाोक प्रस्ताव इस प्रकार से है:—

चौधरी रिजक राम, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री चौधरी रिजक राम के 8 अक्टूबर, 1998 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 7 जून, 1913 को हुआ। वह व्यवसाय से वकील थे वह 1952 तथा 1963 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1967, 1972 तथा 1977 में हरियाणा विधान

सभा के सदस्य चुने गए। वह संयुक्त पंजाब तथा हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रहे। वह 1968 में राज्य सभा तथा 1983 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वह हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। वह अनेक भौक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाग्य संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भोर सिंह, भूतपूर्व मंत्री हरियाणा

यह सदन के भूतपूर्व सांसद सदस्य श्री सुशील चन्द्र मोहन्ता के 7 दिसम्बर, 1998 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाग्य प्रकट करता है।

उनका जन्म 26 अप्रैल, 1929 को हुआ। वह व्यवसाय से वकील थे। उनहोंने सिरसा में वकालत शुरू की। वह 1977-79 के दौरान हरियाणा के महाधिवक्ता रहे। वह 1980 में राज्य सभा के सदस्य चुने गये। वह दोबारा 1988-91 के दौरान हरियाणा के महाधिवक्ता रहे।

उनके निधन से देश एक प्रख्यात अधिवक्ता तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाग्य संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

**श्री दीना नाथ अग्रवाल, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व
सदस्य**

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दीना नाथ अग्रवाल के 25 अगस्त, 1998 को हुए दुःख निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है

उनका जन्म अप्रैल, 1916 में हुआ। उन्होंने एफ0 ए0 डिग्री प्राप्त की। वह व्यवसाय से उद्योगपति थे। वह अनेक औद्योगिक संस्थाओं के प्रधान तथा महासचिव रहे। उन्होंने लुधियाना में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये।

उनके निधन से देा एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित को गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करनता है।

श्री तिलक राज चड्ढा, संयुक्त विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री तिलक चड्ढा के 12 दिसम्बर, 1998 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 14 दिसम्बर, 1914 को हुआ। उन्होंने अर्थ शास में एम0 ए0 की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपना

व्यवसायिक जीवन डी० ए० वी० कालेज, लाहौर से एक प्राध्यापक के रूप में भुरू किया। उनहोने स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लिया तथा कई बार जेल गये। वह 1945 से 1948 तक संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1956 में मुकुन्द लाल नैनल कालज, यमुनानगर में प्राध्यापक नियुक्त हुए तथा 1958 से 1979 तक इसके प्रिंसीपल रहे। वह जीवन के अन्तिम समय तक शिक्षा के प्रगति के लिए समर्पित रहे।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद् तथा योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन विदंगत के भावुक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कर्नल होरियार सिंह, एक वीर सैनिक

यह सदन वीर सैनिक, कर्नल होरियार सिंह के 6 दिसम्बर, 1998 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भावुक प्रकट करता है।

हरियाणा के इस बहादुर सपूत का जन्म 5 मई, 1936 को हुआ। वह भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हुए तथा 1963 में कमीशन प्राप्त किया। उन्होंने 1971 के भारत-पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई। 15 दिसम्बर, 1971 को कर्नल होरियार सिंह बसन्तर नदी के पार भाकरगढ़ ग्रेनेडियर की लैफ्ट फॉनवर्ड कम्पनी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें भात्रु के जरपाल क्षेत्र पर कब्जा

करने के आदे 1 दिये गये। आमन-सामने के जबरदस्त युद्ध में भारी बमबारी तथा दु मनों की मीनगनों से होने वाली गोलाबारी की परवाह ने करते हुए उन्होंने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ धावा बोल कर दु मन के इलाके पर कब्जा कर लिया। अगले दिन दु मन ने तीन बार जवाबी हमले किये। अननी सुरक्षा की परवाह ने कहते हुए उन्होंने मार्चों में तैनात जवानों के पास जाकर डटकर मुकाबला करने के लिए उनके हौसले बुलन्द किये। इस प्रकार उन्होंने दु मन के पैर उखाड़ दिए। दु मन अपने कमान अधिकारी सहित 85 मृतकों को छोड़कर वापिस भाग गये। गंभीर रूपय से घायल होहते हुए भी उन्होंने युद्ध विराम होते कि अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। भारतीय सेना की गौरवमय परम्परा को कायम रखते हुए उन्होंने इस युद्ध में वीरता, अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट युद्ध कोशल नेतृत्व प्रदान किया। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

उनके निधन से दे 1 एक वीर सैनिक तथा हरियाणा एक महान सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया हैं यह सदन दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री बलवान सिंह, एक वीर सैनिक

यह सदन वीर सैनिक श्री बलवान सिंह के 12 अक्टूबर, 1998 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 दिसम्बर, 1964 को हुआ। झज्जर में पढ़ाई करने के बाद वह 1984 में भारतीय सेना में शामिल हुए। उन्हें सेना में 14 वर्षों के सेवाकाल के दौरान दो बार सैन्य सेवा मैडल से सम्मानित किया गया। वह देश की एकता और अखण्डता के लिए साहस और वीरता प्रदर्शित करते हुए जिला डोडा में आप्रेशन रक्षक-3 के तहत उग्रवादियों से लड़ते हुए भाहीद हो गए।

उनके निधन से देश एक वीर सैनिक तथा हरियाणा एक महान सपूत की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री चन्दू लाल, स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन स्वतन्त्रता सेनानी श्री चन्दू लाल के 3 जनवरी, 1999 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 17 अगस्त, 1909 को हुआ। वह व्यवसाय से इंजीनियर थे। राष्ट्रियता की भावना से प्रेरित होकर वह हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य बने। वह 1929 में रोहतक आ गये तथा स्वतन्त्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। वह कई बार जेल गये। वह जीवन के अंतिम समय तथा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से व्यस्त रहे।

उनके निधन से दे । एक स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया हैं यह सदन दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

यह सदन हरियाणा के वन राज्य मंत्री, श्री जगदी । यादव की माता श्रीमती चम्पा देवी, हरियाणा से संसद सदस्य श्री राम चन्द्र बैन्दा की माता श्रीमती चावली देवी तथा हरियाणा से संसद सदस्य राव इन्द्रजीत सिंह की माता श्रीमती चन्द्र प्रभा के हुए दुःखद निधर पर गहरा भाोक प्रकट करता है

यह सदन दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

रेल, भू-स्खलन एवं भगदड़ दुर्घटना

यह सदन 26 नवम्बर, 1998 को पंजाब में खन्ना के नजदीक रेल दुर्घटना, 18 अगस्त, 1998 को जिला पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में भू-स्खलन और 14 जनवरी, 1999 को करेल के सवरीमाल में भू-स्खलन एवं भगदड़ में हुए लों को दुःखद निधर पर गहरा भाोक प्रकट करता है ।

यह सदन दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री ओम प्रका । चौटाला (रोड़ी): अध्यक्ष होदय, पिछले अधिवे ।न और इस अधिवे ।न के बची में बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ,

स्वतंत्रता सेनानी, अच्छे शिक्षाविद और देवभक्त इस संसार से चले गये है। चौधरी रिजक राम जी जो हरियाणा प्रदेश के राजनीतिज्ञों में उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ थे। वे इस सदन को सदस्य रहे, राज्य सभा और लोक सभा के भी सदस्य रहे और विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के सम्मान को जब चोट पहुंची तो उनहोने भारी आर्थिक नुकसान उठाकर भी इस प्रदेश की इज्जत बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। वे अच्छे वकील थे, अनुभवी राजनीतिज्ञ थे और कई शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे। इस प्रकार की विभूतियां आज हमारे बची में नहीं हैं यह सदन उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इस सदन के एक सदस्य श्री भोर सिंह जो मंत्री भी रहे और एक अच्छे वकील थे वे आज हमारे बीच में नहीं है। यह सदन दिवंगत के भाग्य संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी प्रकार श्री सुशील चंद मोहन्ता हरियाणा प्रदेश के एडवोकेट जनरल भी रहे। राज्यसभा में भी हरियाणा प्रदेश की प्रतिनिधित्व करते रहे। एक योग्य कानूनदान थे, एक अच्छे वकील भी थे और भारत सरकार की तरफ से यू0 एन0 ओ0 में इस देश का प्रतिनिधित्व करने का उन्हें अवसर मिला था। व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे अच्छे संबंध थे। वे बहुत योग्य सलाहकार भी थे वे योग्य व्यक्ति थे। वे आज इस संसार में नहीं हैं यह सदन दिवंगत

के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इस प्रकार श्री दीना नाथ अग्रवाल संयुक्त पंजाब विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं उनहोने एफ0 ए0 की डिग्री प्रापत की थी। वे बहुत बड़े व्यावसायी व उद्योगपति भी थे। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं उनके निधन से दे । एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है यह सदन दिवंगत के भाोक सतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री तिलक राज चड्ढा एक बहुत जुझारू किस्म के फ्रीडम फाइटर थे। 1942 के आंदोलन में श्री जयप्रकाश के अच्छे साथियों में से एक थे। सर्वप्रथम वे 1942 की लड़ाई में अरुणा आसिफ अली के साथ मेरे अपने गांव चौटाला गये थे मुझे भी सबसे पहले 1942 में उनके दान का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे मुझ तरफ पंजाब में विधान सभा के सदस्य भी रहे। दे । जब आजाद हुआ तो उनहोने एक निर्णय ले लिया कि वे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे उसके बाद एक ऐसा अवसर आया था जब हम उन्हें हरियाणा प्रदेश की प्रतिनिधि बनाने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनाना चाहते थे लेकिन उसे भी उनहोने स्वीकार नहीं किया था। उनके निधन से दे । एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद की सेवाओं से वंचित हो गया है यमुनानगर के शिक्षा संस्थान से जुड़ने के बाद तो शिक्षक तो शिक्षक ही नहीं परन्तु हर विद्यार्थी के मन में उनके प्रति बहुत

आस्था थी। इस प्रकार की महान विभूतियां आज हमारे बीच में नहीं हैं यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है

कर्मल होि ग्यार सिंह जो हरियाणा प्रदेश की भूति के एक गांव के रहने वाले थे ऐसे महान योद्धा इस प्रदेश के दे दे की मिट्टी में पैदा हुए। वे सोनीपत जिले के सिसाना गांव के रहने वाले थे उनकी कुर्बानी बेमिसाल है। मुझे उनकी 13वीं पर जाने का अवसर मिला। हरियाणा प्रदेश के समूचे लोगों की एक इच्छा है कि इस प्रकार की महान हस्तियों की यादगार में जिनहोने प्रदेश के मान-सम्मान को बढ़ाया है उनकी याद में जरूर कोई स्मारक बनाया जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार के सदस्यों को अनुरोध करता हूँ कि बलवान सिंह भी एक वीर सैनिक थे उन्होंने भी अपनी वीरता का प्रदर्शन डोडा में आप्रेशन रक्षक 3 के तहत उग्रवादियों से लड़ते हुए किया और वे भाहीद हो गये। इस वीर और साहसिह सैनिक से भी यह प्रदेश वंचित हो गया है यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

इसी प्रकार श्री चन्दू लाल जी एक महान स्वतन्त्रता सेनानी थे और संयुक्त पंजाब में हमारे प्रदेश से उनका बहुत लगाव था आज वे हमारे बीच में नहीं हैं उनके निधन से देश एक महान स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है यह

सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के एक साथी श्री जगदी ा यादस आज माता के स्नेह से वंचित हो गये। आज उनकी माता इस संसार में नहीं हैं मैं उनके प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इसी तरह से हमारे संसद सदस्य श्री राम चन्द्रा बैन्दा की माता श्रीमती चावली देवी जोकि इस संसार को छोड़कर चली गई है, उनके निधर पर भी मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। हमारे एक और संसद सदस्य राव इन्द्रजीत सिंह की माता श्रीमती चन्द्रा प्रभा के दुखःद निधर नरभी मैं भाोक प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी दौरान में श्री कि ान सिंह सांगवान, संसद सदस्य के पिता श्री सूरजमल का भी निधन हो गया है लेकिन उनका नाम इन भाोक प्रस्तावों में भामिल नहीं है मैं अनुरोध करूंगा कि उनका नाम भी इस सूची में भामिल कर लिया जाए।

श्री बंसी लाल: ठीक है, उनका नाम भी भाोक प्रस्तावों की सूची में भामिल कर लिया जाए।

श्री ओम प्रका ा चौटाला: इसी प्रकार से श्री बाबू राम जोकि गांव धनाना के रहने वाले थे और वे एि ायाड खेलों के गोल्डमैडलिस्ट थे, वह भी आज इस संसार में नहीं है। इस प्रकार

के सम्मानित सदस्यों के नाम भी जो इस संसार से चले गये हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस भाोक प्रस्ताव में शामिल कर लिए जायें। अध्यक्ष महोदय, कई और भी ऐसी दुर्घटनाएं इस दौरान घटी हैं, विशेष रूप से रेल दुर्घटना, 18 अगस्त, 1998 को जिला पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में भू-स्खलन और 14 जनवरी, 1999 को करल के सबरीमाला में भू-स्खलन एवं भगदड़ में हुए लोगों के दुखद निधन पर भी मैं गहरा भाोक प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र के मेजर नितिन बाली, जिनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी तथा जो अपने पिता के इकलौते बेटे, सियाचिन में लडाई लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए हैं इसी तरह से लै0 अतुल कटारिया हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके नाम भी भाोक-प्रस्ताव में सूची में जोड़ दिए जाएं।

श्री बंसी लाल: ठीक हैं

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में आस्ट्रेलिया के इसाई मिशनरी व उनके दो बेटों की निर्मम हत्या हुई हैं मेरा आपसे अनुरोध है कि उनका नाम भी भाोक-प्रस्ताव सूची में जोड़ लिया जाए। यह सदन उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता है

श्रीमती करतार देवी (कलानौर, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक परम्परा के अनुसार सदन के नातने जो भाोक-प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है। उसमें शामिल होने के

लिए मैं अपने दल की तरफ से बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। इस भोक प्रस्तावों की सूची को देखने से मालूम होता है कि पिछले सत्र के उठ जाने के बाद और इस सत्र के भुरू होने के समय के बीच में चले गये हैं। चाहे राजया हो, रंक हो या कोई भी क्यों नहीं हो। यह बड़ी दुखदायी कहानी है तथा इसके लिए हम सब को संतोश करना पड़ता है। कि जीवन का कुछ पता नहीं है, किसी भी समय इसका अंत हो सकता है इसलिए हमें जो भी समय मिले उस में इन्सानियत के धर्म को निभाने का प्रति क्षण ध्यान रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी रिजक राम जी जिला रोहतक के प्रसिद्ध वकील, सांसद एवं बहुत ही सुयोग्य राजनेता थे। इतना ही नहीं बल्कि अपने राजनैति जीवन काल में इनको ई वर पर पूर्ण वि वास था वे अपनी करनी औ कथीन में समानता रखपाते थे मैं उनके भोक सतप्त परिवार को उनके निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे उनकी आत्मा को भांति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, श्री भाशेर सिंह, भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा, बहुत थोड़ी उम्र में ही हमारे बीच में से चले गये। वे अपने परिवार के लिए एक ऐसी किरण थे जिनके ऊपर उनके परिवार के सदस्य चारों ओर से निर्भर थे तथा महसूस करते थे कि वे ही उनको आग्र ले जाएंगे। वे बिल्कुल स्पष्टवादी और निडर थे। उनकी असामयिक मृत्यु पर मैं अपने दल की तरफ से हार्दिक संवेदना

व्यक्त करती हूं तथा भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वे उनकी आत्मा को भांति प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, श्री सु गील कुमार मोहन्ता, भूतपूर्व संसद, जो दो बार महाधिवक्ता भी रहे और विपक्ष के नेता ने उनके बारीमें चर्चा करते हुए भी बताया कि उन्होंने यू0 एन0 ओ0 में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे व्यक्ति का हमारे बची में से चले जाना एक बहुत ही दुःखद घटना है। जिसकी भरपाई भायद ही कभी हो पाएगी। उनके दुखद निधन पर यह सदन गहरी संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, श्री दीना नाथ अग्रवाल, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य जो एक बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने लुधियाना में कपड़ा उद्योग चलाने के अपना सपना साकार करने के लिए बहुत मेहनत की। यह सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, श्री तिलक राज चड्ढा, संयुक्त पंजाब विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य जो मौलित तौर पर एक शिक्षाविद् रहें हैं, हमारे बीचम से चले गये हैं यमुनानगर मुकुन्द लाल नै लन कॉलेज में उन्होंने जो काम किया है, उसकी वजह से न केवल शिक्षाविद् उनका आदम करते हैं बल्कि वहां के विद्यार्थी और वहां की जनता भी उनके प्रति अपना आदर भाव रखती हैं उन्होंने स्वतन्त्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कई

बार जेल गए। उनहोने शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए नौजवानों को सही राह दिखाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया तथा उनका आदर्श जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायक है उनके निधन से यह देश एक स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद तथा योग्य विधायक को सेवाओं से वंचित हो गया है यह सदन दिवंगत के भावुक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कर्नल होशियार सिंह ने देश की सेनाओं में रहकर अपने अदम्य साहस का परिचय देकर हमारा और अपने देश का नाम रोशन किया। भाई बलवान सिंह जभी एक कर्मठ सेनानी थे, वे डोडा में उग्रवादियों की गोली का शिकार हो गये। मैं इस भारत माता के उस वीर सपूत को भी श्रद्धांजली देती हूँ जरूर ऐसे व्यक्तियों की यादगार में विशेषतौर से कर्नल होशियार सिंह जैसे वीरों की यादगार में हमें कुछ बनाना चाहिए ताकि सदा हमें उनकी याद आती रहे। मैं सदन के नेता से अनुरोध करूंगी कि वे ऐसे वीरों की याद में कुछ बनवाये ताकि औरों के लिए वे प्रेरणा के स्रोत बनें।

मैं श्री चंदू लाल, स्वतन्त्रता सेनानी को भी श्रद्धांजली देती हूँ, श्री चंदू लाल जी अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते थे वास्ता में वे पूर्णतः राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। इंजीनियर होते हुए भी उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और वे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य भी रहे। यह

सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

मै श्री जगदी 1 यादव की माता चम्पा देवी, श्री राम चन्द्र बैन्दा की माता श्रीमती चावली देवी तथा संसद सदस्य राव इन्द्रजीत सिंह की माता श्रीमती चन्द्र प्रीता के हुए दुःखद निधन पर भाोक प्रकट करती हूं। साथ ही साथ श्री कि 1 न सिंह सांगवान के पिता श्री सूरजमल के निधन पर भी भाोक प्रकट करती हूं और इसके साथ साथ पंजाब में खन्ना के नजदीक रेल दुर्घटना, जिला पिथौरागढ़ उत्तर प्रक 1 में भी भू-स्खलन और सबरी माताल में भू-स्खलन एवं भगदड़ में हुए लोगों के दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करती हूं। मै उड़ीसा में आस्ट्रेलिया के मि 1 नरी और उसके दो बच्चों की जो निर्मम हत्या की गई है उसके प्रति भी गहरा भाोक व्यक्त करती हूं। और सदन के नेता से आग्रह करती हूं कि इन हत्याओं को इस भाोक प्रस्ताव में भामिल किया जाए। इन्ही भावनाओं के साथ मै इस प्रस्ताव में अपने दल की तरफ से सभी भाोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि उनकी आत्मा की भांति दें।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने जो भाोक प्रस्ताव सदन में रखा है मै उसमें भामिल होने के लिए खड़ा हुआ हूं। चौधरी रिजक राम जी हरियाणा की राजनीति के वरिष्ठ नेता थे और चौधरी औम

प्रकाश चौटाला जी ने ठीक कहा कि वे हमें हरियाणा के हितों के बारे में सोचते थे। हरियाणा के हितों की जब बात आती तो उनहोंने राज्य सभा से त्याग पत्र दे दिया था। इस महान सदन में वे कई साल सदस्य रहे, सिंचाई मंत्री रहे। यदि उनको रोहतक और सोनीपत जिले की राजनीति का भीष्मपिता-मह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वे बड़े ही मृदुभाशी और बड़े ही व्यावहारिक व्यक्ति थे। वे गांवों और खेती से जुड़े हुए राजनेता थे। उनके निधन से हरियाणा के पुराने राजनेताओं को अकेलापन महसूस होगा। मैं उनको अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ।

श्री भोर सिंह जी एक बार मुलाना से विधायक रहे और एक बार सढौरा से रहे, इस सदन में उनके साथ बैठनों का सौभाग्य मुझे भी मिला लेकिन छोटी सी उमर में उनका निधन हो गया इसका मुझे बड़ा दुख है।

श्री सुशील चन्द मोहन्ता राज्य सभा के सदस्य रहे, उन्होंने यू0 एन0 ओ0 में भारत का प्रतिनिधत्व किया और वे पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के काबिल वकील थे। एमरजेंसी के समय वे हमारे जेलों में रहे। उनके निधन से हमें बड़ा भारी आघात पहुंचा है।

श्री दीना नाथ अग्रवाल और श्री तिलक राज चड्डा स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके निधन से हमें आघात पहुंचा है। उस

समय के हर स्वतंत्रता सेनानी पर हमें गसर्व है। स्पीकर साहब, उस समय राजनीति में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए योगदान की एक होड़ लगी थी। उस समय हर एक ने राजनीति में थोड़ा बहुत योगदान दिया चाहे वे किसी भी दल में रहा, उस समय श्री तिलक राज चड्ढा ने उस पीढ़ी को रीप्रैजेंट किया जिस पीढ़ी ने देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। चौधरी नेकी राम स्वतंत्रता सेनानी और श्री तिलक राज चड्ढा ने उस समय अपने अलग-अलग समय में लोक सभा की टिकट और राज्य सभा की सदस्यता के बारे में यह कहा था कि अगर हमने लोक सभा की टिकट और राज्य सभा की सदस्यता स्वीकार की तो जो हमें स्वतंत्रता के समय लड़ाई लड़ी थी वह हमारी आत्मा की संतुष्टी के लिए हमारे पास पूंजी है, वह हम नहीं खोना चाहते उनहोंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। स्वीकार साहब, भारत की रखवाली करने वाली सेना पर हमें फख्र हैं चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे पानीपत हो और चाहे दिल्ली के चारों तरफ से यहां के नौजवानों ने लगातार देश की एकता अखण्डता के लिए बलिदान दिए हैं उनमें से कर्नल होलियार सिंह और बलवान सिंह भी एक कड़ी थे। इसी तरह से इनमें एम नाम लैफ्टीनेंट अतुल कटारिया का भी भामिल कर लिया जाए। वह बहादुर सैनिक गुडगांव का रहने वाला था। इस बहादुर सैनिक ने श्रीनगर में आंतकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए दुश्मनों से दो चार होहते हुए देश की एकता और अखण्डता के लिए अपना बलिदान दे दिया। मुझे और कर्ण सिंह दलाल तथा बीरेन्द्र सिंह जी और दूसरे

कई साथियों को उनकी भाोक सभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस भाोक सभा में उनकी मम्पनी का एक आदमी आया हुआ था। उस आदमी ने उस समय यह बताया कि इस लड़के को राम के 12 बजे वहां जाने से मना किया था लेकिन इस बहादुर ने उस समय यह कहा कि दे । के खिलाफ सजि । हो रही है और 100 आतंकवादी जिनके खिलाफ लड़ने के लिए जाने से लोगे डरते थे उसने अपने एक अर्दली को अपने साथ ले कर वहां जाने का फैसला किया। अर्दली की जा किसी तरह बची रहे उसने उसको कहा कि मेरी आवाज तक तू यहां से हिलेगा नहीं उसको सुरक्षित जगह एक झाड़ी में बैठा कर करके खुद अकेला उन आतंकवादियों के खिलाफ कूदा और उसमें उन मेंसे 10 आतंकवादियों की जान ले कर अपरे प्राण दिए। ऐसे बहादुरों पर हमें गर्व हैं इसी तरह से चन्दु लाल स्वतंत्रता सेनानी थे उनके निधन से भी हमें बड़ा भारी आघात पहुंचा है। इसी तरह से चौटाला साहब ने ककि कि नितिन बाली ने श्रीनगर में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राण दिए हैं उनका नाम भी इस भाोक प्रस्ताव में भामिल कर लेते हैं। स्पीकर साहब, री नगर से अमरनाथ जाने के लिए कोई तीर्थ यात्री जा नहीं सकता था लेकिन इन्ही बलिदानों के कारण इस बार लगभग डेढ़ लाख तीर्थ यात्री अमरनाथ गए थे। यह भी हमारे बहादुर सैनिकों को कुर्बानी का कमाल है

इसी तरह से स्पीकर साहब, हरियाणा के वन राज्य मंत्री श्री जगदी । यादव की माता श्रीमति चम्पा देवी, हरियाणा से संसद सदस्य श्री राम चन्द्र बैदा की माता श्रीमति चावली देवी और हरियाणा के संसद सदस्यराव इन्द्रजीत सिंह की माता श्रीमति चन्द्र प्रभा के दुखद निधन पर तथा हमारे संसद सदस्य श्री कि । न सिंह सांगवान के पिता श्री सूरजमल के दुखद निधन पर हमें भारी दुख है। मैं आपी और से ओर दल की ओर से इन सभी महानुभावों के भाोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ।

इसी तरह से रेल, भू-स्खलन और भगदड़ दुर्घटना में मारे गये लोगों के परिवारों के प्रति हम अपनी ओर से संवेदना प्रकट करते हैं। स्पीकर साहब, इन्हीं भाब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के प्रति विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूँ। पिछले सै । न और इस सै । न के बीच में हमारे से कुछ बहुत बड़े राजनेता, कुछ विद्वान, कुछ वीर सैनिक और कुछ दूसरे व्यक्ति बिछड़ गए हैं। यह तो प्रकृति का नियम है कि जो इस संसार में आता है। उसको एक दिन जाना है लेकिन इनमें से कुछ असामयिक मौतें बड़ी दुखदायी हैं।

चौधरी रिजक राम जी हरियाणा की राजनीतिक में एक प्रेरणा स्त्रोत थे। उनका एक लम्बा राजनीतिक जीवन और शिक्षाप्रद जीवन था। उनका जीवन हमें यह बताता है कि किस प्रकार व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर हरियाणा और देश के हिता की भावना उनमें थी। वे कई बार इस सदन के सदस्य रहे। इसी प्रकार से वे राज्य सभा और लोक सभा के सदस्य भी रहे। उनकी मृत्यु से हम एक अच्छे प्रशासन व अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गए हैं मैं परमपिता परमात्मका से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को भांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस आघात को सहन करने की भाक्ति दें।

श्री भोर सिंह जी पिछले सदन से हमारी साथी थे। इससे पहले भी वे एक बार इस सदन के सदस्य रह चुके हैं वे केवल 50-52 की उम्र में ही इस संसार से चले गए। वे एक गरीब परिवार से सम्बन्धित थे तथा संघर्ष करते हुए राजनीति में यहां तक पहुंचे। उन्होंने एक संघर्षमय जीवन व्यतीत किया। मैं इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री सुशील चन्द मोहनता भूतपूर्व सांसद थे। उन्हें दारे बार इस प्रदेश का एडवोकेट जनरल रहने का अवसर मिला। उनके निधन से प्रदेश एक प्रख्यात वकील और सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है मैं दिवंगत आत्मा की भांति की कामना करते

हुए प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को यह यह दुःख सहन करने की भावित दें।

श्री दीनानाथ अग्रवाल संयुक्त पंजाब के सदस्य थे। वे एक महान उद्योगपति भी थे। उनके निधन से हमें दुःख है मैं भोक संतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री तिलकराज चड्ढा जी एक महान उच्च कोटि के शिक्षा भास्त्री थे। उनके चले जाने से हमें आघात पहुंचा है हम एक महान शिक्षा विद की सेवाओं से वंचित हो गए हैं यह सदन दिवंगत की आत्मा की भांति की कामना करता है कि भगवान उनकी आत्मा को भान्ति प्रदान करें।

कर्नल होरियार सिंह हरियाणा के वीर सैनिकों को कड़ी में एक वीर सैनिक थे। उन्होंने हर प्रकार से बहादुरी के साथ काम करते हुए अपना काम किया जिस कारण उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह इस बात का द्योतक है कि वे एक उच्च कोटी के वीर सैनिक थे। उनके निधन से देश एक वीर सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है

श्री बलवान सिंह भी इसी कड़ी के एक वीर सैनिक थे। वे मात्र 34 साल की उम्र में ही देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भाहीद हो गए। जिस प्रकार उन्होंने अपना बलिदान किया उससे ऐसे वीर सैनिक पर हमें गर्व है मैं परमपिता परमात्मा से

प्रार्थना करता हूँ कि उनके भाोकस संतप्त परिवार को इस महान दुःख को सहन करने की भाक्ति प्रदान करें।

श्री चन्दू लाल जी एक वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। यह सदन भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है

इस सदन के माननीय सदस्य व मंत्री श्री जगदीश यादव की माता श्रीमती चम्पा देवी, हरियाणा के संसद सदस्य श्री रामचन्द्र बैन्दा की माता श्रीमती चावली देवी, राव इन्द्रजीत सिंह, संसद सदस्य की माता श्रीमती चन्द्र प्रभा हरियाणा के संसद सदस्य श्री किान सिंह सांगवान के पिता श्री सूरज जी के निधन पर भाोक प्रकट करता है।

इन सब दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार से रेल, भू-स्खलन एवं भगदड़ दुर्घटना में जिन निर्दोश व्यक्तियों, बाल एवं वृद्धों के अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है उन दिवंगत आत्माओं के प्रति यह सदन भाोक व्यक्त करता है परमपिता परमेवर इन दिवंगत आत्माओं को भाक्ति प्रदान करें। मैं सभी भाोक व्यक्त करता हूँ परमपिता परमेवर इन दिवंगत आत्माओं को भाक्ति प्रदान करें। मैं सभी भाोक संतप्त परिवारों को सदन द्वारा प्रकट की गई संवेदना पहुंचा दूंगा। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में

श्रद्धाजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए खड़े होने का अनुरोध करता हूँ।

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

घोशणाएं

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा—

(i) चेयरपर्सनज के नामों की सूची:—

Mr. Speaker: Hon'ble Members, under rule 13(1) of the Rules of procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairpersons:-

1.	Sh. Narpender Singh
2.	Sh. Ramesh Kashyap
3.	Sh. Bijender Singh Kadyan
4.	Sh. Balwant Singh Maina

(ii) याचिका समिति:

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under rule 303(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

1.	Sh. Faquir Chand Aggarwal,	Ex-Officio Chariperson
	Deputy Speaker	
2.	Sh. Narpender Singh	Members
3.	Sh. Anand Kumar Sharma	Members
4.	Sh Somvir Singh	Members
5.	Sh. Siri Kishan Hooda	Members

(ख) सचिव द्वारा—

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गये बिलों संबंधी

Mr Speaker: Now, the Secretary will make announcement.

सचिव: महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने नवम्बर, 1996 तथा जुलाई, 1998 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादन सदन की मेज पर रखता हूँ।

Statement

November Session, 1996

1. The Haryana Lokpal Bill, 1996

July Session, 1998

1. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1998.
2. The Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 1998
3. The Punjab Excise (Haryana Third Amendment) Bill, 1998
4. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1998.
5. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1998.
6. The Haryana Legislative Assembly Speaker's And Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1998.
7. The Haryana Legislative Assmbly (Allowance and Pension of Members) Amendment Bill, 1998.
8. The Haryana Legislative Assembly (Allownaces an Pension of Members) Amendment Bill, 1998.
9. The Haryana Salaries and Allowances of Minister (Amendment) Bill, 1998

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Membes, now the Minister of State for Parliamnetary Affars will move the motion under rule 121 for suspension of rule 30.

Minister of State for Publice Relation (Sh. Attar Singh Saini);

Sir, I beg to move—

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assemblybe suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 28the January, 1999.

Sir, I also move—

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assemblybe suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 28the January, 1999.

Mr. Speaker: Motion moved-

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assemblybe suspended in its application to the motion regarding the transaction of Government Business on Thursday, the 28the January, 1999.

That rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assemblybe suspended and Government Business on Thursday, the 28the January, 1999.

The motion was carried

बिजनैस एडवाइजारी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे 1 करना

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Commitee-

The Committee met at 11-00A.M. on Thursday, the 28the January, 1999 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday, Tuesdays, Wednesday s and Thursday s at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Friday at 10.00 A.M. and adjourn at 2.00 P.M. without question being put.

However, on Thursday, the 28th January, 1999 the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address an adjourn after the conclusion of Business entered in the list of Business for the day.

The Committee also recommends that on Friday, the 12the February, 1999 the Assembly shall meet at 10.00 A.M. and adjourn after conclusion of the Business entered in the list of Business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the Business on 28th, 29th January, 1999, 1st February to 5th February, 1999, 8th February to 10th February, 1999 and 12th February, 1999, be transacted by the Sabha as under:—

The House will meet immediately half an hour after	1. Laying of a copy of the Governor's Address on the
---	--

the conclusion of the Governor's Address on the 28th January, 1999	Table
	2. Obituary References.
	3. Motion under Rule 121 for the Suspension of Rule 30.
	4. Presentation and adoption of first Report of Business Advisory Committee.
	5. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	6. Presentation of the Preliminary Report of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the Final report thereon.
Friday, the 29th January, 1999 (10.00 A.M.)	1. Question Hour.
	2. Discussion of Governor's Address
Saturday, the 30th January, 1999	Off day

Sunday, the 31st January, 1999	Holiday
Monday, the 1st February, 1999 (2.00 P.M.)	1. Question Hour.
	2. Resumption of discussion on Governor's Address
Tuesday, the 2nd February, 1999	1. Question Hour.
	2. Resumption of discussion on Governor's Address
	3. Presentation of supplementary Estimates for the year 1998-99 and the Report of the Estimates Committee thereon.
	4. Official Resolution. if any
Wednesday, the 3rd February, 1999 (2.00 P.M.)	1. Question Hours.
	2. Presentation of Budget Estimates for the year 1999-2000.

<p>Thursday, the 4th February, 1999</p> <p>(2.00 P.M.)</p>	<p>1. Question Hour.</p>
	<p>2. Private Members Business.</p>
<p>Friday, the 5th February, 1999</p> <p>(2.00 P.M.)</p>	<p>1. Question Hour.</p>
	<p>2. Papers to be laid, if any</p>
	<p>3. General discussion on Budget Estimates for the year 1999-2000</p>
<p>Saturday the 6th February, 1999</p>	<p>Off day.</p>
<p>Sunday, the 7th February, 1999</p>	<p>Holiday</p>
<p>Monday, the 8th February, 1999</p> <p>(2.00 P.M.)</p>	<p>1. Question Hour.</p>
	<p>2. Resumption of General Discussion on Budget Estimates for the year 1999-2000</p>
<p>Tuesday, the 9th February, 1999</p>	<p>1. Question Hour.</p>

(2.00 P.M.)	
	2. Resumption of General Discussion on Budget Estimates for the year 1999-2000
Wednesday, the 10th February, 1999 (2.00 P.M.)	1. Question Hour
	2. Presentation on Assembly Committees Report.
	3. Discussion and voting on supplementary Estimates for the year 1999-2000
	4. Discussion and voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 1999-2000
	5. Legislative Business.
Thursday, the 11th February, 1999	Holiday
Friday, the 9th February, 1999 (2.00 P.M.)	1. Question Hour.
	2. Motion under Rule 15

	regarding non-stop sitting.
	3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine die.
	4. Presentation of Report of the Assembly committees.
	5. The Haryana Appropriation Bill in respect of supplementary Estimates for the year 1989-99
	6. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 1999-2000
	7. Legislative Business.
	8. Any other Business.”

Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Minister of State Public Relations (Sh. Attar Singh Saini): Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): स्पीकर सर, इसमे अगर कोई ऑफिशियल रैजोलूशन हो, अगरकर हमें एक आध दिन पहले पता लग जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष: बीरेन्द्र सिंह जी, जो आप कहना चाह रहे हैं, वही तो पहले आ गया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: सर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो डिसकशन एण्ड वोटिंग ऑन डिमांड्स फोर ग्रान्ट्स एवं डिसकशन एण्ड वोटिंग ऑन सप्लीमेंट्री है, इसके लिए आपने एक ही दिन रख दिया। सर, ग्रान्ट्स तो इतान लम्बा चौड़ा सब्जेक्ट है कि इसके लिए यदि आप थोड़ा समय देगे तो एवेकनी कार्य पैली की कमिया बता पायेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पूरा समय दें क्योंकि लिए दिन का समय बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो लैजिसलेटिव बिजनैस है वह बी० ए० सी० की रिपोर्ट में 10 ओर 12 तारीख में फिक्स किया गया है पहले भी हाउस में लैजिसलेटिव बिजनैस के बारे में कई बार चर्चा हुई है लेकिन अब तो यह एक प्रथा सी बन गयी है कि दिन के दिन ही हमारे को सारा बिजनैस दिया जाता है इसलिए इतने थोड़े समय में इनको

पढ़ नहीं पाते हैं। हम सब मैम्बर्ज को इनको पढ़ने में बहुत समय लगता है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर कोई अमैडमेंटस के लिए नया बिल हो तो उसके लिए हमें कम से कम चार दिन का समय पहले दिया जाना चाहिए।

लोक निर्माण मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): स्पीकर सर, बीरेन्द्र सिंह जी ने जो सप्लीमेंट्री डिमांड के बारे में कहा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि प्रथा तो अब तक यही रही है कि बजट की डिमांड के साथ ही सप्लीमेंटरी डिमांड पर चर्चा को जाती है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, सप्लीमेंटरी डिमांडज तो पिछले साल की है लेकिन अगर उसी दिन बजट की डिमांडज पर भी चर्चा हो तो कैसे मैम्बर्ज उर पर अपने विचार रख सकते हैं। क्योंकि इससे मैम्बर्ज कंफ्यूज हो जाते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी डिमांडज तो पिछले वर्ष की होती है इसलिए इन पर अलग से डिसकान नहीं होती।

श्री बीरेन्द्र सिंह: जब जनरल बजट पर डिसकान खात हो जाएगी तो उसके बाद जो हर डिपार्टमेंट की सैकेंड रीडिंग डिमांडज की है उसके लिए ज्यादा समय निर्धारित नहीं किया गया है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर डिसकान के लिए अलग से समय दिया जाना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री मनीराम गोदारा): अध्यक्ष महोदय, बिजनैस ऐउवाइजरी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वह आपके सामने हैं अग ये उस वक्त कमेटी की मीटिंग में आ जाते है तो they could have made thir suggestion. Now ther is no question of amendment. They were represented in that Committee. हर पार्टी उस कमेटी की मीटिंग में अपना रिप्रैजेंटेटिव भेजती हैं इसलिए उस कमेटी की मीटिंग मे जो फैसला हो गया, सो हो गया। They Were represented in the committee and they were supposed to attend that meeting. But they did not attend it. अब इनकी यह क्या बात हुई। उक कमेटी ने जो फैसला दे दिया, सो दे दिया, सो दे दिया।

श्री सम्पत सिंह: सम्पत सिंह जी, यह उसी प्रजातंत्र की प्रणाली का एक हिस्सा है जिसमें आप रहे है। Your party has been represented.

श्री संपत सिंह: सर, इन्होने यह कैसे कह दिया कि जो फैसला हो गया, सो हो गया? ऐसा नही होना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संपत सिंह जी, गोदारा साहब का कहने का मतलब यह था कि आपकी पार्टी का रिप्रैजेंटेटिव उस कमेटी की मीटिंग में नही आया। अगर आपका कोई रिप्रैजेंटेटिव उस कमेटी की मीटिंग में आ जाता, तो वह अपने सुझाव उस वक्त देसकता था। (गोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल सांगवान: सर, ये प्रजातंत्र की बात कह ही नहीं सकते। ((ओर एवं व्यवधान) इनकी पार्टी के मैम्बर्ज बिजनैस ऐडवाजरी की मीटिंग में तो जाते नहीं है ओर हब ये यहां पर उसकी रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं ये कमेटी की मीटिंग में जाते हुए तो भार्माते हैं

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर सर, क्या सांगवान साहब की ड्यूटी यही है। कि जब हम कुछ बोलने के लिए खड़े हो तो हमारेसाथ ही ये भी बोलने के लिए खड़े हो जाए। स्पीकर सर, बी० एल०सी० की रिपोर्ट के बारे में तै दो तीन सुझाव आपको देना चाहता हूं। सरकार मेरे इन सुझावों को माने या न माने यह उनकी मर्जी है क्योंकि उनकी पार्टी मैजोरिटी में है। हम तो केवल सरकार को राय ही दे सकते हैं स्पीकर सर, गवर्नन एड्रैस और बजट पर डिसकान के लिए बी० सी० सी० की रिपोर्ट में केवल दो-दो दिन ही फिक्स किए गए है जोकि कम हैं दूसरे दिन तो सरकार की तरफ से इनका रिप्लाइ दिया जाएगा। उस दिन जब मैम्बर्ज बोलने के लिए आपसे कहेंगे तो उस समय कह दिया जाएगा कि इन दोनों आईटम्ज पर डिसकान करत हुए दो दिनहो गया इसलिए अब सरकार की तरफ से रिप्लाइ आएगा। मेरा कहना यह है कि इसी तरह बजट पर फाइनेंस मिनिस्टर ने रिप्लाइ देनी होगी, उस परभी चर्चा के लिए दो दिन का समय रखा है मेरा कहना है कि इसके लिए एक-एक दिन का समय और बढ़ाया जाए ओर इसमें कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। इतना ज्यादा

हैवी डिबिट है जैसे 10 फरवरी की सप्लीमेंट्री ऐस्टीमेट्स पर डिस्कान है बजट की डिमांड भी उसी दिन रख दी और मेरे साथी मंत्री महोदय श्री कर्ण सिंह दलान ने कह दिया किस सप्लीमेंट्री डिमांड तो रस्सी होती यह पहले ही खर्च किया जाता है तो पहले का मतलब यह नहीं है कि कोई बहुत पुराना किया हुआ खर्च है यह तो जो साल गया है उसका जो बजट था उससे फालतू खर्च हुआ है ओर उसके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड आई है उसकी इजाजत देना का काम हाउस का है उससे रस्सी नहीं माना नहीं माना जाएगा। या तो यह हो कि जो करने वाले लोग हो वे चले गए हो और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसी फिक्सकरें तब तो यह बात ठीक है लेकिन यह खर्च तो पिछले साल का है। इसलिए मेरा निवेदन है सप्लीमेंट्री डिमांड के लिए अलग से दिन फिक्स हो। बजट तो जनरल बजट है उसकी डिमांड तो बाकायदा पटिकुलर डिमांड होती है आज आज हाउस के स्पीकर है उससे पहले आप विपक्ष में बैठते थे तो आप भी यही कहते थे कि डिमांड को एक दिन में पास कर दिया जाएगा तो बोलने का समय कैसे मिलेगा। कई मैम्बर बोलने से छूट जाते हैं तो उन्हें डिमांड पर बोलने का मौका मिल जाता है। डिमांड पर माइक्रो डिस्कान होती है उसी दिन लेजिस्लेटिव बिजनैस रख दिया है और एक घंटे का क्वैश्चन ऑवर हो गया। मुश्किल से दो घंटे मिलेंगे और उसी में 3-3 बिजनैस ट्रांजैक्ट करने जा रहे हैं अगर इन तीनों के लिए एक-एक दिन का समय बढ़ाया जाए तो टोटल 4 दिन का समय कर दिया जाए तो कोई लम्बी चौड़ी

बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी डर क्यों रहे हैं चार दिनकार समय बढ़ा दिया जाए यह मेरी अपील है।

श्री अध्यक्ष: संपत सिंह जी, आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक है लेकिन सन् 1986 से अपटू 1999 का रिकार्ड मेरे सामने पड़ा है। डिमांड पर एक दिन से फालतू कभी भी डिसकान नहीं हुई हैं, this is for your kind information इसमें सप्लीमेंटरी डिमांड भी आ गईं ओर सारी बात आ गईं।

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मेरी सबमीशन है कि हैल्दी ट्रेडीशन आप कभी डाल सते हैं कल कत्ल हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आज भी होगा। आप पहले की बात कह रहे हैं तो पहले तो ऐसा भी हुआ कि एक ही दिन में बजट पांच मिनट में पास हुआ है। फिर तो आप यह कह देंगे कि पहले की तरह इस बार भी हो जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमीशन को आपने भी ऐप्रोवियेट किया है और यदि स्पीकर ऐप्रोवियेट करें तो हाउस के लीडर भी ऐप्रोवियेट करते हैं। उम्मीद है कि मेरी सबमीशन को वे ऐप्रोवियेट करेंगे।

श्री मनीराम गोदारा: स्पीकर साहब, आपने जो बात कही है उसके एक-एक भाब्द से मैं ऐग्री करता हूँ लेकिन सवाल इस चीज का है कि बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी किस लिए होती है This is for the working of the House उस मीटिंग में इनके प्रतिनिध आकर यदि इसी ईशू को उठाते तो उसमें कोई मुश्किल

नहीं थी। सवाल इस चीज का है कि इन पर जो जिम्मेदारी डाली जाती है उस जिम्मेदारी को लेने को तो तैयार नहीं होते हैं और यह दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री संपत सिंह: स्पीकर सर, यह अनपार्लियमेंटरी भाब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। वह भाब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, जो चौधरी संपत सिंह जी ने पिक्चर प्रस्तुत करने की कोशिश की है वह साहीनही है सही पिक्चर तो यह है कि 29 जनवरी को गवर्नर साहब के एड्रेस पर डिसकशन होगा, पहली फरवरी को गवर्नर साहब के एड्रेस पर डिसकशन होगा फिर दो फरवरी को गवर्नर साहब के एड्रेस पर डिसकशन होगा और इसी तरह से पांच, आठ और नौ फरवरी को बजअ पर डिसकशन होगा।

श्री सम्पत सिंह: तीसरे दिन तो रिप्लाइ है।

श्री बंसील लाल: अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि यह रिप्लाइ है तो इस सदन के और सदस्यों को भी बोलने का अधिकार है सिर्फ ये ही बोलने नहीं जानते हमें भी बोलना आता है हम भी तो कुछ टाइम लेगे। आप कहते हैं कि एक-एक दिन और बढ़ाओं तो यह तो तीन दिन और हो गये क्योंकि गवर्नर साहब के

एड्रेस पर तीन दिन डिसकान होना है और जनरल बजट पर भी तीन दिन डिसकान होना है

श्री अध्यक्ष: चौधरी संपत सिंह जी, जनरल बजट पर और गवर्नर साहब के एड्रेस पर पिछले साल और उससे पिछले साल जो समय सदस्यों को बोलने के लिए मिला है उतना समय आज तक के समय में सबसे ज्यादा है उसमें कोई कमी नहीं होगी आप तब बोल लेना।

Now question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज—पत्र

Mr. Speaker: Now at Minister will lay/re-lay the paper on the table of the House.

Minister of state for Public Relations (Sh. Attar Singh Saini): Sir, I beg to re-lay on the table—

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 56/Const./Art.320/97, dated the 31st July, 1997 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulation, 1997 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 86/onst./Art. 3200/Amd. (3)97, dated the 17th November, 1997 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulation, 1997 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 100/H.A. 20/73/S.64/97, Date the 17th December, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 101/H.A. 20/73/S.64/97, Date the 18th December, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 17/H.A. 20/73/S.64/98, Date the 10th March, 1998 regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

Sir I also beg to lay on the Table—

The General Administration Department (Political Branch) Notification No. G.S. R. 85/H.A.2/1970/S.8/98, dated the 31st July, 1998 regarding the Haryana Minister Allowances (Amendment) Rules, 1998 as required under Section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowance of Minister Act, 1970.

The General Administration Department (Political Branch) Notification No. G.S.R. 82/H.A.3/1975/S.8/98, dated the 31st July, 1998 regarding the Haryana Legislative Assembly, Speaker's and Deputy Speaker's Allowance (Amendment) Rules, 1998 as required under Section 8(2) of the Haryana Legislative Assembly, Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act, 1975

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 104/Const./Art. 320/Amd.(1)/98, dated the 25th September, 1998 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1998 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 20./73/S.64/98, Date the 24th August, 1998 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1998 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973

The Power Department Notification No. S.O. 106/98/S/23, 2425/98, dated the 14th August, 1998, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 111/H.A. 10/98/S.55/98, dated the 16th August, 1998, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The 30th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1996-97 as required under Section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

The Annual Report of Chaudhary Charn Singh Haryana Agricultural University, Hisar for the year 1994-45 as required under Section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Annual Financial Accounts of Haryana Khadi and Village Industries Board for year 1994-95 and 1995-96 as required under Section 19A(3) of the Comptroller and Auditor General of India (Duties, Power, and conditions of Service) Act, 1971.

The 30th Annual Report of the Haryana State Small Industries & Export Corporation Limited for the year 1996-97 as required under Section 619A(3) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana State Board for the Prevention & control of Water Pollution for the year 1992-93 as required under Section 39(2) of the Water prevention & Control of Polluting) Act, 1974.

The Annual Report of Haryana State Board for the Prevention & control of Water Pollution for the year 1993-94 as required under Section 39(2) of the water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

The Annual Report of Haryana State Board for the Prevention & control of water Pollution for the year 1994-95 as

required under Section 39(2) of the Water (Prevention & control of Pollution) Act, 1974.

वि शेषाधिकार मामलों के संबंध में वि शेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री भजन लाल, भूतपूर्व, एम0 एल0 ए0 के विरुद्ध

Mr. Speaker: Now Sh. Narpender Singh, M.L.A. Chairperson, Privileges Committee Will present the Fourth Preliminary Report of the Committee on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Sh. Jagan Nath, Minister against Sh. Bhajan Lal, Ex-M.L.A. (Now M.P.) and Former Leader of the Congress Legislative Party, who made a press statement in the Press lobby/lounge in the Haryana Vidhan Sabha casting serious reflection on the conduct and impartiality of the Chair i.e. Hon'ble Speaker, Prof. Chhattar Singh Chauhan, and using very derogatory remarks against him wistfully and deliberately with a malicious motive in order to lower down the dignity of the Chair as published in the Indian Express on 22.11.1996.

Chairperson, Privileges Committee (Sh. Narpender Singh) Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Sh. Jagan Nath, Minister against Sh. Bhajan Lal, Ex-M.L.A. (Now M.P.) and further Leader of the Congress Legislative Party, who made a press statement in the press lobby/lounge in the Haryana Vidhan Sabha casting serious reflection on the

conduct and impartiality of the Chair i.e. Hon'ble Speaker, Prof. Chhattar Singh Chauhan, and using very derogatory remarks against his willfully and deliberately with a malicious motive in order to lower down the dignity of the Chair as published in the Indian Express on 22-11-1996.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

Mr. Speaker: Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next session.

The motion was carried

(ii) इंडियन एक्सप्रेस के संवादाता, सम्पादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरुद्ध

Mr. Speaker: No Sh. Narpender Singh Chairperson, committee of Privileges will present the Fourth preliminary Report of the Committee, on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Sh. Janan Nath, Minister against the Correspondent, Edition,

Publisher and Printer of the Indian Express for publishing the statement of Sh. Bhajan Lal Ex-M.L.A. (Now M.P.) containing derogatory remarks which cast serious aspersions on the impartiality character and conduct of the Chair in discharge of his parliamentary duties on the floor of the House as this act this has lowered the prestige and dignity of the chair in the eyes of the public, in the issue of Indian Express dated 22-11-1996.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended up to the first sitting of the next Session.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till 10-00 A.M. tomorrow.

16-45 Hrs.

(The House then adjourned till 10-00 A.M. on
Friday, the 29th January, 1999)